खण्ड–36, अंक–05
गुरुवार, 03 फाल्गुन, शक संवत्, 1934
(दिनांक 21 मार्च, 2013 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)

(प्रथम सत्र, 2013)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 36 में 05 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषयों की सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की मांग	1–2
प्रश्नोत्तर	2–43
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा जमनीपुर की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु उद्गादी नदी पर दो मुँहे खाले के बाद पूर्वी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	44
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा छरबा के पूर्वी तटबंध पर हजारों बीघा कृषि भूमि शीतला नदी की बाढ़ से भूमि कटाव की रोकथाम हेतु शीतला नदी पर पूर्वी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	44
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा ढाक पत्थर की हजारों बीघा कृषि भूमि यमुना नदी की बाढ़ से भूमि कटाव की रोकथाम हेतु यमुना नदी पर तटबंध बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	44
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा एटनबाग के ग्राम फतेहपुर गाँव की भूमि कटाव की रोकथाम हेतु उद्गादी नदी पर उत्तरी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में याचिका	45
विधान सभा समितियों के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत मंत्री किये जाने का प्रस्ताव	45
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन), 2013..	46
आय – व्ययक तथा विनियोग विधेयक एवं अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव	46–47
वित्तीय वर्ष 2013–14 में आय – व्ययक के अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान	47
अनुदान संख्या – 05 निर्वाचन	47
अनुदान संख्या – 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं	47–48
अनुदान संख्या – 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	48

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या – 18 सहकारिता	48–49
अनुदान संख्या – 20 सिंचाई एवं बाढ़	49
अनुदान संख्या – 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	49
अनुदान संख्या – 19 ग्राम्य विकास	50
अनुदान संख्या – 25 खाद्य	50
अनुदान संख्या – 26 पर्यटन	50–51
अनुदान संख्या – 29 औद्यानिक विकास	51
अनुदान संख्या – 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	51–52
अनुदान संख्या – 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	52
अनुदान संख्या – 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान	52–53
अनुदान संख्या – 28 पशुपालन	53
अनुदान संख्या – 16 श्रम एवं रोजगार	53–54
अनुदान संख्या – 15 कल्याण योजनाएं	54
अनुदान संख्या – 24 परिवहन	54–55
अनुदान संख्या – 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	55
अनुदान संख्या – 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	55
अनुदान संख्या – 01 विधान सभा	56
अनुदान संख्या – 03 मंत्री परिषद्	56
अनुदान संख्या – 04 न्याय प्रशासन	56–57
अनुदान संख्या – 08 आबकारी	57
अनुदान संख्या – 10 पुलिस एवं जेल	57
अनुदान संख्या – 14 सूचना	58
अनुदान संख्या – 21 ऊर्जा	58
अनुदान संख्या – 22 लोक निर्माण कार्य	58–59
अनुदान संख्या – 23 उद्योग	59
अनुदान संख्या – 27 वन	59

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013	60–64
उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013	64–93
उत्तराखण्ड ग्राम एवं नगर नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013	93–119
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 ...	119–122
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013	122–123
जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के राजकीय महाविद्यालय में छात्र – छात्राओं द्वारा अंग्रेजी प्रवक्ताओं के रिक्त पद तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पद भरने की मांग के सम्बन्ध में विगत तीन दिन से चल रहे आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री तीरथ सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	124
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत संचालित हो रहे कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा या व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	124–125
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव	125
राष्ट्र–गान	126
नत्थियाँ	127–157

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री विजय बहुगुणा
7–श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
8–श्री गणेश गोदियाल
9–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
10–श्री गणेश जोशी
11–श्री चन्दन राम दास
12–श्री चन्द्र शेखर
13–डा0 जीत राम
14–श्री तीरथ सिंह
15–श्री दलीप सिंह रावत
16–श्री दान सिंह भण्डारी
17–श्री दिनेश अग्रवाल
18–श्री दिनेश धनै
19–श्री नवप्रभात
20–श्री नारायणराम आर्य
21–श्री पुष्कर सिंह धामी
22–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
24–श्री प्रदीप बत्रा
25–श्री प्रीतम सिंह
26–श्री प्रीतम सिंह पंवार
27–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28–श्री प्रेम सिंह
29–श्री फुरकान अहमद
30–श्री बंशीधर भगत
31–श्री माल चन्द
32–श्री मदन कौशिक
33–श्री मदन सिंह बिष्ट
34–श्री मनोज तिवारी
35–श्री मयूख सिंह
36–श्री महावीर सिंह
37–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38–श्री यतीश्वरानन्द
39–श्री यशपाल आर्य
40–श्री राजकुमार ठुकराल
41–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन
42–श्री राजकुमार
43–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
44–श्री राजेश शुक्ला
45–श्री ललित फर्स्वाण
46–श्री विक्रम सिंह नेगी
47–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
48–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49–श्री बिशन सिंह चुफाल
50–श्रीमती शैला रानी रावत
51–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52–श्री संजय गुप्ता
53–श्री सरवत करीम अंसारी
54–श्रीमती सरिता आर्या
55–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
56–श्री सुबोध उनियाल
57–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
59–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60–श्री हरक सिंह रावत
61–श्री हरबन्स कपूर
62–श्री हरभजन सिंह चीमा
63–श्री हरिदास
64–श्री हरीश धामी
65–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66–श्री हेमेश खर्कवाल
67–श्री सुरेन्द्र राकेश

गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गयें और एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने जो सी0बी0आई0 की मांग नियम–310 में की हुई है, उस पर हम कायम हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि इस सदन में आपके सामने सबको बराबरी का हक होना चाहिए। आप हमारे संरक्षक हैं, इसलिए हम आपके सामने बारे–बारे अपनी बात को रख रहे हैं, आप हमारी बात को मानिये, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, हमने आज भी नियम–310 का नोटिस दिया हुआ है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आप इसकी घोषणा अपनी पीठ से कर दीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह

माननीय अध्यक्ष जी, आप सी0बी0आई0 की घोषणा कर दीजिए। आप हमें न्याय दिला दीजिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड को बिकने मत दीजिए, आप सी0बी0आई0 की मांग करा दीजिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट तथा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री बंशीधर भगत, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री तीरथ सिंह और श्रीमती विजय बड़थ्वाल को छोड़ कर सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी मांग है, उस पर हम आज भी कायम हैं। (घोर व्यवधान) यह ड्रामेबाजी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि अपने साथियों को सीट पर बैठाइये। (घोर व्यवधान) माननीय भट्ट जी, जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते हैं, तब तक किसी भी माननीय सदस्य की कोई भी बात अंकित न की जाय। (घोर व्यवधान)

प्रश्नकाल आपका है, प्रश्नकाल को चलने दें। (घोर व्यवधान) माननीय भट्ट जी, अपने दल के माननीय सदस्यों को व्यवस्थित करें। (घोर व्यवधान) माननीय भट्ट जी, अपने सदस्यों को सीट पर बैठाइये। (घोर व्यवधान)

मैं सदन को 12:30 (अपराह्न) बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद देहरादून में व्यक्तिगत ट्यूबवैलों की संख्या एवं उनसे प्राप्त

**1–श्री राजकुमार–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में कितने व्यक्तिगत ट्यूबवेल हैं जो टैंकरों से पानी बेचते हैं तथा उनसे सरकार को सलाना कितना राजस्व प्राप्त होता है ?

राजस्व हानि रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेयजल एवं शिक्षा मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

पेयजल विभाग के पास देहरादून के निजी ट्यूबवेलों की संख्या उपलब्ध नहीं है और न ही पेयजल विभाग द्वारा निजी ट्यूबवेलों से कोई राजस्व ही लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में शराब बिक्री पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में

**2–श्री नव प्रभात–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार तीर्थ में शराब की बिक्री प्रतिबन्धित है ?

यदि हाँ, तो इस प्रतिबन्धित क्षेत्र का सीमा निर्धारण क्या है ?

क्या इसमें देहरादून जनपद का कोई क्षेत्र भी सम्मिलित है ?

क्या दिनांक 23 फरवरी, 2012 तथा दिनांक 27 फरवरी, 2012 को इस क्षेत्र में कोई बार लाईसेंस जारी किये गये थे ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)

जी हाँ।

हरिद्वार नगरपालिका क्षेत्र शराब बिक्री हेतु प्रतिबन्धित है।

जी नहीं।

उक्त तिथियों को हरिद्वार नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में कोई बार लाईसेंस निर्गत, नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला में मौसम से फसलों के नुकसान होने पर समर्थन बीमा देने पर विचार

*1. श्री माल चन्द–

क्या उद्यान मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत पुरोला, नौगांव, मोरी के बागवानों व कृषकों की नगदी फसलों को अति वृष्टि एवं मौसम की मार से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु हिमाचल पैटर्न पर सरकार समर्थन बीमा देने पर विचार करेगी जो कि किसानों व बागवानों को के0सी0सी0 ऋण के समय भी दिया जात है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

पर्यटन, उद्यान, संस्कृति, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकारों के सहयोग से उत्तराखण्ड सहित पूरे देश में संचालित हो रही है। इसमें मौसम आधारित

कारकों जैसे तापमान परिवर्तन, आंधी, आर्द्रता, के साथ अधिक/कम वर्षा/बेमौसमी वर्षा आदि कारकों को सम्मिलित किया गया है। यह योजना जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला, नौगांव व मोरी में भी संचालित है। जिन उद्यानपतियों/कृषकों ने सेब, टमाटर, अदरक एवं आलू आदि फसलों के लिए बीमा कराया है, उन कृषकों को अतिवृष्टि से होने वाले क्षति का मुआवजा देने का प्राविधान है। किसानों व बागवानों को के0सी0सी0 के माध्यम से दिये जाने वाले ऋण के समय भी उक्त बीमा प्रदान किया जाता है।

दावों का भुगतान, क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा पूर्ण प्रीमियम राशि की प्राप्ति, बीमा अवधि की समाप्ति तथा सन्दर्भित मौसम केन्द्रों से आवश्यक मौसम के आंकड़ों के प्राप्त होने के उपरान्त 45 दिवस के भीतर किये जाने का प्राविधान है।

जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर मेले को राजकीय मेला घोषित करने पर विचार

*2–हाजी सरवत करीम अंसारी–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार दरगाह साबिर पीर पिरान कलियर, हरिद्वार में प्रतिवर्ष लगने वाले मेले को राजकीय मेला घोषित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार पिरान कलियर के लिये विशेष बजट का प्राविधान भी कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत किसी मेले को राजकीय मेला घोषित करने की कोई नीति तथा योजना संचालित नहीं है।

जी नहीं।

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पौराणिक, ऐतिहासिक तथा संस्कृतिक मेलों के आयोजन हेतु मेला समितियों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। कलियर शरीफ में लगने वाला मेला भी उक्त योजनान्तर्गत सूचीबद्ध है। मेला समिति एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार की मांग/संस्तुति पर

सुसंगत विभागीय मद से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कलियर शरीफ मेले को भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में यथासमय विचार किया जा सकता है।

प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को वितरित आहार

*3–श्री मयूख महर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से पुष्ट आहार वितरित किया जाता है ?

यदि हाँ, तो इसमें कौन कौन सी वस्तु वितरित की जाती है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 2005–2012 तक प्रदेश में उक्त वितरित सामग्री का विवरण क्या है तथा उक्त सामग्री की प्रत्येक की लागत क्या थी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। शिक्षा विभाग द्वारा पुष्ट आहार योजना संचालित नहीं की जाती वरन् कक्षा–1 से कक्षा–8 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेयजल संकट दूर करने के प्रयास

*4–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि वर्ष 2012 में गर्मियों में पूरा प्रदेश पेयजल संकट ग्रस्त था ?

यदि हाँ, तो पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किये हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल में पेयजल से वंचित बस्तियों का जनपदवार विवरण

*5–श्री पुष्कर सिंह धामी–

05. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल के कितने बस्तियों में पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य था तथा कितने में पूर्ति की गई एवं जनपदवार कितनी बस्तियां पेयजल से पूर्णरूपेण वंचित है तथा कितने आंशिक रूप से ?

क्या पेयजल मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में आ रही बाधायें तथा जल संस्थान, जल निगम में अभियंताओं के रिक्त पद, पेयजल स्कीमों की धीमी रफ्तार से कार्य, बिना ठोस तैयारी किये स्वैप कार्यक्रम को लागू किये जाने तथा बड़ी पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु समयान्तर्गत धन का अवमुक्त न होना जैसी समस्याओं के समाधान हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक कुमायूं मण्डल के अन्तर्गत 1888 लक्ष्य के सापेक्ष 1686 तथा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत 2093 लक्ष्य के सापेक्ष 1295 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की गयी। दिनांक 01.02.2013 को जनपदवार पेयजलपूर्ति आंशिक एवं पूर्ण रूप से वंचित बस्तियों का विवरण निम्नवत् है।

जनपद	आंशिक	पूर्णरूप से वंचित
1. चमोली	961	414
2. रूद्रप्रयाग	307	7
3. टिहरी	814	357
4. देहरादून	293	130
5. पौड़ी	1120	98
6. उत्तरकाशी	18	156
7. हरिद्वार	2	0
8. पिथौरागढ़	671	106
9. चम्पावत	324	143
10. अल्मोड़ा	1221	171
11. बागेश्वर	460	201
12. नैनीताल	135	47
13. ऊधमसिंह नगर	12	3

जी हाँ।

जल संस्थान एवं जल निगम में पदोन्नति कोटे के रिक्त अभियन्ताओं के पदों पर विभागीय चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है तथा सीधी भर्ती की रिक्तियों को लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। वर्तमान में स्वैप कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। बड़ी पेयजल योजनाओं के लिए वार्षिक योजना तथा विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत धन की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी अन्तर्गत धनोल्टी में आनन्द चौक तथा बनाली पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण

*6–श्री महावीर सिंह रांगड़–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत आनन्द चौक तथा बनाली पम्पिंग पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत आनन्द चौक ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना तथा बनाली ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के प्रथम चरण (फेज–1) के कार्यों हेतु प्रारम्भिक प्राक्कलन प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0स0 क्षेत्र सोमेश्वर में कृषकों को उपलब्ध कराये गये बीज एवं उनसे प्राप्त लाभ

*7–श्री अजय टम्टा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ताकुला, ध्वालबाग, ताड़ीखेत, द्वाराहाट में कृषकों को किन–किन फूलों एवं नकदी फसलों के अनुदानित बीज उपलब्ध कराये गये एवं विभाग द्वारा उत्पादकों को सरकारी सुविधा से उपलब्ध कराये गये बीजों का कितना लाभ मिला?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ताकुला, हवालबाग, ताड़ीखेत, द्वाराहाट में बागवानी मिशन के अन्तर्गत पुष्पों में ग्लेडियोलाई एवं गेंदा बीज तथा नकदी फसलों के अन्तर्गत मसाला फसलों में अदरक एवं हल्दी बीज 75% अनुदान पर तथा आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत हल्दी बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराये गये हैं। इन बीजों से वर्ष 2011–12 में ग्लेडियोलाई में रु0 4000.00 प्रति नाली, गेंदा में रु0 2500.00 प्रति नाली, अदरक में रु0 20000.00 प्रति नाली एवं हल्दी में रु0 2000.00 प्रति नाली तक का लाभ कृषकों को मिला है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0एड0/बी0पी0एड0 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने पर विचार

*8–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बी0एड0/बी0डी0एड0 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। वर्तमान में प्रचलित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2011–12 में बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रवक्ता संवर्ग में 1542 नियुक्तियाँ की गयी तथा लोक सेवा आयोग से प्रतीक्षा सूची के तहत चयनित 175 बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार स0अ0 एल0टी0 वेतनक्रम में वर्ष 2011–12 में 1023 बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ प्रदान की गयी तथा प्रतीक्षा सूची के तहत चयनित 145 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

बी0पी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार देने के उद्देश्य से 234 बी0पी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स0अ0 एल0टी0 वेतनक्रम में नियुक्तियाँ प्रदान की गयी तथा प्रतीक्षा सूची के तहत 14 बी0पी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रवक्ता संवर्ग में 1213 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2012—13 में रमसा के अन्तर्गत विद्यालयों को आवंटित धनराशि का विवरण

*9—श्री पुष्कर सिंह धामी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2012—13 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान—रमसा के अन्तर्गत प्रदेश में जनपदवार कितने स्कूलों को कौन—कौन से विकासपरक उद्देश्य की पूर्ति हेतु धनराशि आवंटित की गई तथा इन स्कूलों द्वारा इस धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो कौन से विकासपरक कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा कौन से प्रक्रियाधीन हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

वर्ष 2012—13 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान—रमसा के अन्तर्गत विकासपरक कार्यों हेतु प्रदेश में जनपदवार निम्नवत् विद्यालयों को धनराशि आवंटित की गई है :—

क्र0 सं0	जनपद	विद्यालय अनुदान	लघु मरम्मत	एस0एम0 डी0सी0 प्रशिक्षण	गाईडेंस एवं काउन्सलिंग	शैक्षिक भ्रमण	विशेष शिक्षण
1.	रुद्रप्रयाग	104	80	104	104	104	0
2.	ऊधमसिंह नगर	113	90	113	113	95	30
3.	बागेश्वर	84	69	84	76	74	0
4.	पिथौरागढ़	197	147	188	197	169	0
5.	टिहरी	252	192	252	252	238	40
6.	हरिद्वार	67	47	67	67	61	26
7.	पौढ़ी	295	229	295	240	290	0
8.	उत्तरकाशी	113	80	113	113	102	20
9.	देहरादून	155	125	155	155	155	23
10.	चम्पावत	89	63	89	80	89	0
11.	चमोली	181	152	181	181	177	0
12.	नैनीताल	172	154	172	172	172	0
13.	अल्मोड़ा	170	102	241	241	213	0
	योग	1992	1530	2054	1991	1938	139

इस धनराशि के द्वारा विद्यालयों में प्रयोगशाला सामग्री, लघु मरम्मत, छात्रों को शैक्षिक भ्रमण, सहायक शिक्षण सामग्री, छात्रों को गाईडेंस एवं काउन्सलिंग की सुविधा तथा विशेष शिक्षण जैसे विकासपरक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विद्यालयों को दी गई धनराशि में से विद्यालय अनुदान 1171, लघु मरम्मत 873, एस0एम0डी0सी0 प्रशिक्षण 1630, गाईडेंस एवं काउन्सलिंग 1502, शैक्षिक भ्रमण 1702 तथा विशेष शिक्षण 95 विद्यालयों द्वारा उपभोग कर लिया गया है व शेष विद्यालयों द्वारा इस धनराशि के उपभोग की प्रक्रिया गतिमान है। निर्देश दिये गये हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में इस धनराशि का उपभोग समस्त विद्यालयों द्वारा कर लिया जाए।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में रिक्त पद व नियुक्ति पर विचार

*10–श्री गणेश जोशी–

क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि सरकार द्वारा प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को वित्तीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्यों यह सत्य है कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी से संस्कृत शिक्षा प्रभावित हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में वर्तमान में कितने प्रधानाचार्य/विषय विशेषज्ञ अध्यापकों/कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं ?

क्या सरकार संस्कृत शिक्षा को मजबूती देने के लिए सभी संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में रिक्त चल रहे प्रधानाचार्य/विषय विशेषज्ञ अध्यापकों/कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में निम्नांकित पद रिक्त चल रहे है :–

अशासकीय संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद–

प्रधानाचार्य	–	31
प्रवक्ता	–	36
सहा0 प्रवक्ता	–	132

राजकीय संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद–

सहा0 अध्यापक–132

अशासकीय एवं राजकीय विद्यालयों में कुल रिक्त पद–267

जी हाँ।

रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। †

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी में कण्डीघाट पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति पर विचार

11–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी के लिए प्रस्तवित कण्डीघाट पम्पिंग पेयजल योजना शासन स्तर पर लम्बित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कण्डीघाट पम्पिंग पेयजल योजना को स्वीकृत करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कण्डीघाट स्रोत से मसूरी को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुसंधान कार्य किया जा रहा हैं। अनुसंधान के परिणाम प्राप्त होने पर ही तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 127 पर)

प्रदेश में छात्र हित में प्रत्येक वि0ख0 में एक आवासीय विद्यालय खोलने पर विचार

12—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के कई रा0प्रा0 विद्यालयों में छात्र संख्या दस छात्रों से कम है जिससे ऐसे विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि छात्र हित में सरकार प्रत्येक विकास खण्ड में एक आवासीय विद्यालय खोलने पर विचार करेगी जिसमें ऐसे छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकें?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ। परन्तु छात्र संख्या के कम होने का शिक्षा के स्तर गिरने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जी नहीं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप 01 कि0मी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतः पृथक से आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत लोहाघाट में पेयजल सुविधा से वंचित गाँवों में हैण्डपम्प लगाने की योजना

13—श्री पूरन सिंह फर्त्याल—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट विधान सभा क्षेत्र में सड़क मार्ग के नजदीक बसे ऐसे कितने गाँव हैं जो पेयजल सुविधा से वंचित हैं ?

क्या उन गाँवों में हैण्ड पम्प लगाने की सरकार की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में सड़क मार्ग के नजदीक बसे कुल 186 गाँवों में से 114 गाँवों में पूर्ण रूप से जलापूर्ति की जा रही है तथा 72 गाँव में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

हैण्डपम्प स्थापना हेतु छिद्रण मशीन मात्र मोटर मार्ग स ही पहुँच सकती है। मोटर मार्ग पर स्थित ग्रामों से हैण्डपम्प स्थापना हेतु सर्वेक्षण के पश्चात् फिजिबल पाये जाने पर कार्यवाही सम्भव हो पायेगी।

धन उपलब्धता एवं सर्वेक्षण के पश्चात् फिजिबल पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सीवर द्वारा होने वाले नदी प्रदूषण को रोकने हेतु नीति

*14--श्री मदन कौशिक--

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के किनारे बसी बस्तियों द्वारा नदियों में सीवर बहाया जा रहा है जिससे नदियों में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा नदियों में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु कोई नीति तैयार की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

राज्य में नदियों के किनारें बसी बस्तियों द्वारा सीवर का गंदा पानी सीधे नदियों में नहीं बहाया जा रहा है, परन्तु नालों/नालियों के माध्यम से इन बस्तियों के पानी की आंशिक मात्रा नदियों में जा रही है, जिससे न्यूनाधिक मात्रा में नदियों में प्रदूषण हो रहा है।

जी हाँ।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, भारत सरकार के अधीन गंगा स्वच्छता अभियान 2020 (मिशन क्लीन गंगा 2020) हेतु, उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु वृहद कार्य योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में गंगा बेसिन के अन्तर्गत बसे नगरों/बस्तियों (सीवरेज प्रणाली से अनाच्छदित अथवा आंशिक आच्छादित) से उत्सर्जित सीवेज को टैप कर, जल-मल शोधन संयत्रों द्वारा शोधित कर वर्ष 2020 तक गंगा एवं सहायक नदियों को पूर्णतयाः प्रदूषण मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु विद्यालयों का आवंटित धनराशि

*15--श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य निर्माण के उपरान्त प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु सरकार द्वारा कम्प्यूअर कक्ष, जनरेटर और कक्ष की साज सज्जा के कार्य कराये जाने हेतु धन की व्यवस्था की थी ?

यदि हाँ, तो किस स्तर के विद्यालयों में कितनी धनराशि आवंटित की गई थी?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक किसी विद्यालयों में कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रदेश के राजकीय/सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इण्टर कॉलेजों को जनरेटर एवं कम्प्यूटर कक्ष की साज–सज्जा हेतु रु0 70,000.00 प्रतिविद्यालय की दर से उपलब्ध करायी गयी।

जी हाँ।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरसौली, अल्मोड़ा में जनरेटर क्रय के सम्बन्ध में हुई वित्तीय अनियमितता का शिकायती संदर्भ मा0 लोकायुक्त उत्तराखण्ड के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पर्यटन नीति व रोजगार

17–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई नीति है ?

यदि हाँ, तो क्या पर्यटन नीति में बेरोजगारों को रोजगार देने की भी कोई व्यवस्था है ?

यदि हाँ, तो विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

ग्रामीण पर्यटन हेतु पृथक से नीति नहीं है, किन्तु प्रदेश सरकार राज्य की पर्यटन नीति के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजनायें संचालित की जा रही हैं।

पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजित होता है।

1—वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगारों को विभिन्न पर्यटन गतिविधियों यथा परिवहन सुविधाओं का विकास, फास्ट फूट सैन्टर की स्थापना, मोटर वर्कशाप/गैराज की स्थापना, पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाओं की स्थापना, स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र, पी0सी0ओ0 सहित पर्यटन सूचना केन्द्र/रैस्टोरेन्ट निर्माण, साहसिक पर्यटन क्रियाकलापों तथा साधना कुटीर/योग ध्यान केन्द्रों के विकास हेतु किये पूँजी निवेश पर राज सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

2—भारत सरकार की हुनर से रोजगार योजना के अन्तर्गत रीजनल कुक, वेटर कम हाउस मैन तथा हाउस कीपिंग यूटीलिटीज का प्रशिक्षण दिया जाता है।

3—जिला योजना के अन्तर्गत राफ्टिंग और साहसिक पर्यटन गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुचारू जलापूर्ति हेतु जल निगम के तकनीकी स्टाफ को जल संस्थान को स्थानान्तरित करने पर विचार

10—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश सरकार ने अधिकतर पम्पिंग पेयजल योजनायें जल निगम से जल संस्थान को स्थानान्तरित की है ?

यदि हाँ, तो क्या जल निगम के फील्ड तकनीकी स्टाफ को भी स्थानान्तरित किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार सुचारू जलापूर्ति हेतु जलनिगम के तकनीकी स्टाफ को जलसंस्थान को स्थानान्तरित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी नहीं।

जी नहीं।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान दो भिन्न संस्थायें हैं। एक संस्था से दूसरी संस्था में कर्मचारियों के समायोजन करने से पूर्व नीतिगत निर्णय यथा ढाँचे में परिवर्तन, अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था, कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन आदि पर विचार किया जाना आवश्यक है।

जनपद हरिद्वार के रानीपुर बी0एच0ई0एल0 के अन्तर्गत गाँवों में नयी पेयजल योजना लगाने पर विचार

19–श्री आदेश चौहान–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी0एच0ई0एल0 के अन्तर्गत ग्राम बहादराबाद, सीतापुर, रावली महदूर, सुभाषनगर एवं जगजीतपुर में पिछले दस वर्षों में जनसंख्या में कई गुना बढ़ोत्तरी होने के कारण वर्तमान में इन क्षेत्रों में जो पेयजल योजनायें चल रही हैं वह अपर्याप्त हैं तथा इन क्षेत्रों में पेयजल संकट है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में नयी पेयजल योजना (नलकूप) लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ। वित्तीय उपलब्धता के आधार पर योजनाओं के पुनर्गठन/विस्तार पर विचार किया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में रा0इं0का0 की स्थापना हेतु नीति

1–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कौन–कौन से ऐसे ब्लाक हैं जहाँ पर अभी तक राजकीय इण्टर कालेज नहीं है ?

क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु नीति बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड खानपुर में अभी तक राजकीय इण्टर कॉलेज नहीं है।

इस सम्बन्ध में पूर्व से ही मानक निर्धारित हैं

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में रा0मा0सा0 अन्तर्गत विद्यालयों का उच्चीकरण व शिक्षकों की नियुक्ति

2–श्री मयूख महर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में रा0मा0सा0 के अन्तर्गत कुल कितने विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उच्चीकरण के उपरान्त प्रत्येक विद्यालय में कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है एवं कितने उच्चीकृत विद्यालय शिक्षक/स्टाफ विहीन है ?

क्या सरकार द्वारा शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल 06 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है।

उच्चीकरण के बाद 02 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा 10 सहायक अध्यापक सहित कुल 12 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। 04 उच्चीकृत विद्यालय शिक्षक/स्टाफ विहीन है।

जी हाँ। शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में सीवर लाइन हेतु स्वीकृत धनराशि

3–श्री मयूख महर–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ शहर हेतु निर्माणाधीन सीवर लाईन हेतु अब तक कुल कितना धन स्वीकृत हुआ है तथा उसमें से कितना धन खर्च किया गया है व कितना धन शासन द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु वापस ले लिया गया है ?

यदि हाँ, तो किस प्रयोजन हेतु जारी राशि वापस ली गयी है ?

क्या सरकार शेष कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष में धनराशि उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब व कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पिथौरागढ़ शहर हेतु निर्माणाधीन सीवर लाईन हेतु अब तक रू0 1367.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। वर्तमान तक सम्पूर्ण अवमुक्त धनराशि व्यय की गयी है। अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को शासन द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु वापस नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ सीवरेज योजना विशेष योजनागत सहायता (एस0पी0ए0) में चयनित है। भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त होने पर उक्त योजना में धनावंटन किया जायेगा।

जनपद टिहरी अन्तर्गत थत्यूड़ रा0बा0उ0मा0वि0 के उच्चीकरण पर विचार

4–श्री महावीर सिंह रांगड़–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थत्यूड़ का इण्टरमीडिएट में उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

विभागीय मानक पूर्ण नहीं करता है।

जनपद टिहरी के वि0स0 क्षेत्र धनोल्टी में फसलों के रख रखाव हेतु शीत गृह का निर्माण

5–श्री महावीर सिंह रांगड़–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत धनोल्टी में नकदी फसलों के रख रखाव हेतु शीत गृह निर्माण प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में संचालित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा–एपीडा, एन0एच0बी0 व खाद्य प्रसंस्करण की योजनाओं आदि के अन्तर्गत शीत गृह निर्माण का प्रस्ताव उद्यमियों अथवा निजी क्षेत्र से प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। उपरोक्त योजनाओं में विभिन्न दरों पर अनुदान देय है।

जनपद टिहरी के वि0स0 क्षेत्र धनोल्टी में इण्टर कालेजों हेतु नये भवनों के निर्माण पर विचार

6–श्री महावीर सिंह रांगड़–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रा0इ0का0 श्रीकोट, मैण्डखाल, बंगीयाल, काटल, क्यारी, कमान्द, बंगसील, कटखेत एवं थत्यूड़ दौंक आदि विद्यालयों के पास भवन नहीं हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त इण्टर कालेजों हेतु नये भवनों के निर्माण कार्य प्रस्तावित किये हैं ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज कमान्द एवं रा0इ0का0 थत्यूड़ में विद्यालय भवन हैं। रा0इ0का0 बंगियाल, कटाल, क्यारी, कमान्द, बंगशील कटखेत एवं दौंक की मांग के अनुसार जिला योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष दो–दो कक्षा–कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

शेष रा0इ0का0 श्रीकोट एवं मैण्डखाल के भवन निर्माण का प्रस्ताव निदेशालय से प्राप्त हुए हैं जो परीक्षाधीन हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी के वि0स0 क्षेत्र घनोल्टी अन्तर्गत ग्रामों में हाई स्कूलों के उच्चीकरण पर विचार

7—श्री महावीर सिंह रांगड–

क्या विद्यालयी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा घनोल्टी के अन्तर्गत मंजकोट, थत्यूड़, क्यारी (पट्टी नगुण) चामासारी, नाकुर्चा, मथलाऊ, आनन्द चौक, जोगियाड़ा हाई स्कूलों में से कितने हाई स्कूलों का इण्टरमीडिएट में उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है ?

क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूलों मंजगाँव, मूटगाँव, मखडेत, काण्डाजाख, मालकीमाण्डे, साटागाड़ (अलमस) सैन्दुल आदि का हाईस्कूल में उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक उच्चीकरण किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा घनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी को इण्टर तथा चामासारी को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं जोगियाड़ा रमसा के अन्तर्गत हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत हो चुका है। शेष अन्य विद्यालयों का उच्चीकरण विचाराधीन नहीं है।

केवल काण्डाजाख का उच्चीकरण रमसा के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

मानकों के अधीन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रमसा के अन्तर्गत 2010–11 में उच्चीकृत विद्यालय

8—श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में रा0उ0मा0वि0 रमसा के अन्तर्गत 2010–11 में कितने विद्यालयों का उच्चीकरण हुआ ?

क्या इन विद्यालयों में प्रवक्ता के पद सृजित हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

रमसा के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में किसी भी रा0उ0मा0वि0 का उच्चीकरण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में उप पुस्तकालय स्थापित करने की योजना

9--श्री प्रेम सिंह राणा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में उप पुस्तकालय स्थापित करने की कोई योजना है ?

यदि हॉं, तो तो पुस्तकालय कब तक स्थापित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जू0हा स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को एल0टी0 में समायोजन करने की योजना

10--श्री चन्दन राम दास--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत शिक्षकों को उसी विद्यालय में एल0टी0 में समायोजन करने का कोई प्रस्ताव है ?

यदि हॉं, तो क्या क्या प्रस्ताव है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में जनपदवार कितने जूनियर शिक्षक इस प्रक्रिया से प्रभावित हो रहे हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली--2006 में प्राविधान न होने के कारण।

कोई भी शिक्षक प्रभावित नहीं हो रहा है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत पुरूकुल के हाथी पाँव रोप–वे निर्माण की योजना

11–श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पुरूकुल से हाथीपाँव तक रोप–वे के निर्माण की कोई योजना शासन स्तर पर लम्बित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना पर कार्य करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

पुरूकुल गाँव से मसूरी रोप–वे योजन वृहद व्यय साध्य होने के कारण योजना का कार्य दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है, हाथीपाँव से मसूरी एवं पुरूकुल से हाथीपाँव।

प्रथम चरण में हाथीपाँव से मसूरी तक रोप–वे निर्माण हेतु भारत सरकार से एल0आर0जी0 स्कीम के तहत धनराशि की माँग की गई है। तदोपरान्त द्वितीय चरण में पुरूकुल से हाँथी पाँव तक रोप–वे निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अशासकीय विद्यालयों में 2011–12 में पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय न मिलने के कारण

12–श्री अजय टम्टा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अशासकीय विद्यालयों में 2011–12 में मानदेय पर नियुक्त पी0टी0ए0 शिक्षकों को विगत 6 माह से वेतन न मिलने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार पी0पी0ए0 शिक्षकों को मानदेय देने हेतु कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री प्रसाद नैथानी–

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2012–13 में मानदेय मद पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रथम अनुपूरक के माध्यम से अवमुक्त धनराशि से लम्बित देयकों को भुगतान माह फरवरी, 2013 में किया गया है।

मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत रा0इ0का0 बांस को विभाग द्वारा विज्ञान वर्ग की की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में

13–श्री मयूख महर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रा0इ0का0 बांस को विभाग द्वारा सवित्तीय विज्ञान वर्ग की मान्यता प्रदान की जा चुकी है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

क्या उक्त कॉलेज में विज्ञान वर्ग में पठन–पठन कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ, विज्ञान वर्ग (भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

शासनादेश सं0 77/XXIV–2/8(28)/2011, दिनांक 15–12–2011 द्वारा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय में अद्यतन उक्त विषयों के पद सृजित न होने के कारण।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत संचालित कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों की संख्या व अध्ययनरत छात्राओं पर व्यय धन का ब्यौरा

14–हाजी सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कुल कितने कस्तूरबा गाँधी विद्यालय संचालित हैं तथा कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों में कितने स्थायी वार्डन नियुक्त हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में कितनी बालिकायें अध्ययनरत हैं व उन पर प्रतिमाह कितना धनव्यय हो रहा है ? क्या सरकार तत्सम्बन्धी ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद हरिद्वार में कुल 07 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। मात्र एक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (हरजोलीजट) में स्थाई वार्डन नियुक्त है व शेष 06 में अस्थाई वार्डन की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक कस्तूरबा गाँघ बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	संख्या
1.	नारसन	हरजोलीजट	50
2.	रुड़की	बाजूहेड़ी	38
3.	लक्सर	अकबरपुर उद	49
4.	बहादराबाद	रानीमाजरा	50
5.	भगवानपुर	मोहितपुर	38
6.	भगवानपुर (फारेस्ट)	बांदीवाला	44
7.	खानपुर	गोवर्धनपुर	50
		योग	319

प्रत्येक कास्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में प्रतिमाह प्रति बालिका ₹ 900.00 भेजन मद में व्यय होता है व प्रत्येक विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय (सभी मदों को जोड़कर) ₹13,85,00.00 वार्षिक हैं।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला में उत्पादि फसल मण्डी तक पहुँचाने हेतु छोटे–छोटे रोपवे की व्यवस्था करने पर विचार

15–श्री माल चन्द–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव, पुरोला, मोरी क्षेत्र में ग्रामीण कास्तकारों की उत्पादित फसल सही समय पर मण्डी में पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जगह–जगह पर छोटे–छोटे रोपवे की व्यवस्था करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव, पुरोला, मोरी क्षेत्र में रोपवे की योजना पूर्व से ही संचालित हैं।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला में सेब बागवानों को ओला वृष्टि से हुई क्षति का मुआवजा देने पर विचार

16–श्री माल चन्द–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव, पुरोला, मोरी में सेब बागवानों के अति ओला वृष्टि से हुई क्षति का मुआवजा दिया जायेगा ?

क्या सरकार मुआवजे का मानक तय करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकार के सहयोग से चल रही है। इसके अन्तर्गत तापमान परिवर्तन, अभिशीतन, आंधी, आर्द्रता, अधिक/कम वर्षा आदि कारकों को सम्मिलित किया जा रहा है। अति ओला वृष्टि को उक्त योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मन्दिरों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थानों के सौन्दर्यीकरण पर विचार

17–श्री माल चन्द–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत महासू देवता मन्दिर, हनोल, कर्ण मन्दिर देवरा, शेडकुडिया मन्दिर गुन्दियाटगाँव, महाशिव मन्दिर उडियार–सराजी, पोखू मन्दिर नैटवाड, रूद्रेश्वर मन्दिर बजलाड़ी–कंडाऊ–देवसारी–गैर बनाल, भद्रकाली मन्दिर हुडोली–पोंटी सिरगुल मन्दिर पुरोला, कालिगनाग मन्दिर सरबडियार आदि धार्मिक एवं पर्यटक स्थानों का चारधाम यात्रा की व्यवस्था के आधार पर सौन्दर्यीकरण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

चारधाम यात्रा व्यवस्था के आधार पर इन मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के घनोल्टी अन्तर्गत हैण्डपम्प लगाने हेतु चयनित स्थान

18–श्री महावीर सिंह रांगड़–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनौल्टी के अन्तर्गत कितने स्थानों पर कहाँ–कहाँ हैण्डपम्प लगाये जाने हैं?

क्या सरकार विवरण उपलब्ध करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत 03 हैण्डपम्प लगाये जाने हैं। ये हैण्डपम्प जौनपुर विकास खण्ड क्षेत्र के मोरियाना, थाना एवं दलियाना में स्वीकृत है तथा मार्च माह के अन्त तक हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी वि0स0 क्षेत्र सरोना–बाँठा पेयजल योजना के पुनर्गठन पर विचार

19–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सरोना–बाँठा पेयजल योजना का निर्माण 184–85 में किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि 27 साल पुरानी इस योजना के जगह–जगह पाइपों में जंक लगने एवं टूट–फूट से पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सरोना–बाँठा पेयजल योजना का पुनर्गठन पर विचार करेगी।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

ग्राम सभाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर योजना के पुनर्गठन पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी में मसराना, सुवाखोली व मोटीधार पेयजल योजना के पुनर्गठन पर विचार

20–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मसराना, सुवाखोली व ग्राम मसराना, सुवाखोली व ग्राम मोटीधार पेयजल लाइन 20–25 वर्ष पूर्व बिछाई गयी थी जो कि वर्तमान समय में अत्यधिक जीर्ण शीर्ण हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम मसराना, सुवाखोली व ग्राम मोटीधार पेजयल योजना पुनर्गठन पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी में नालीकला एवं चामासारी के मध्य रडवाड़ा नदी में कफलानी टॉप पम्पिंग पेयजल योजना के शीघ्र निर्माण पर विचार

21–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नालीकला एवं चामासारी के मध्य रडवाड़ा नदी से कफलानी टॉप पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण की योजना विभागीय स्तर पर लम्बित है ?

यदि हाँ, तो क्या सत्य है कि योजना के नव निर्माण के लिए उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण करते हुए फिलीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जानी थी ?

यदि हाँ, तो क्या उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नालीकला एवं चामासारी के मध्य रडवाड़ा नदी से कफलानी टोप पम्पिंग पेयजल योजना के शीघ्र निर्माण पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो कब तक ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

जी हाँ।

जी हाँ।

नालीकला एवं चामासारी के मध्य रडवाड़ा नदी टॉप पम्पिंग पेयजल योजना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नालीकला एवं चामासारी के मध्य में पड़ने वाली क्षेत्र में अधिकांश बस्तियों के लिए गुरूत्व स्रोत उपलब्ध है जिन से अलग–अलग गुरूत्व योजनायें निर्मित कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जिन बस्तियों के लिए गुरूत्व स्रोत उपलब्ध नहीं है, उन्हें बुरासखण्ड पम्पिंग योजना में सम्मिलित कर लाभान्वित किया गया है। चामासारी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर दवियाना तोक समूह गुरूत्व पेयजल योजना का प्राक्कलन विरचित किया जा रहा है।

अटल आदर्श ग्रामों में सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाईट लगाने की योजना

22–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री जी अवगत हैं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सभी अटल आदर्श ग्रामों में सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाईट लगाने की योजना बनाई गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी अटल आदर्श ग्रामों में उक्त व्यवस्था करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश के विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था

25–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के विद्यालयों व इन्टर कालेजों में छात्र–छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर की उचित व्यवस्था नहीं है।

यदि हाँ, तो क्या सरकार शीघ्र फर्नीचर की व्यवस्था करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर वर्षानुवर्ष फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछले एक वर्ष में हुई पेयजल संसाधनों की बढ़ोत्तरी धन का व्यय एवं वित्तीय वर्ष में बजट की व्यवस्था

26–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे के सरकार उत्तराखण्ड में पेयजल संसाधनों को विकसित करने के लिए वार्षिक बजट का कुल कितना प्रतिशत धन व्यय कर रही हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पिछले एक वर्ष में कुल कितने पेयजल संसाधनों में बढ़ोत्तरी हुई हैं ?

क्या सरकार छोटे बड़े घेरे एवं छोटी नदियों के जल को संग्रहित करेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक और इसके लिए कितने बजट की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में की जायेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राज्य द्वारा वित्त पोषित पेयजल योजनाओं के निर्माण लागत की 05 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत स्वीकृत केंद्रांश की 10% धनराशि पेयजल स्रोतों के संवर्धन एवं स्थायित्व हेतु व्यय की जा रही है।

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

कार्य प्रगति पर है तथा इसे शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी में सचिव पद रिक्त होने के सम्बन्ध में

23–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार में सचिव का पद रिक्त चल रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त रिक्त पद को भरने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। श्री मोहन चन्द्र बलोदी कुल सचिव उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, सचिव उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार एवं ऋषिकेश को संस्कृत नगरी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में

24–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा ऋषिकेश एवं हरिद्वार तीर्थ स्थलों को संस्कृत नगरी घोषित किया गया था ?

यदि हाँ, तो सरकार इन स्थानों को संस्कृत नगरी बनाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

ऋषिकेश एवं हरिद्वार को संस्कृत नगरी घोषित किये जाने के फलस्वरूप दोनों तीर्थ स्थलों में संस्कृतमय वातावरण बनाये जाने के लिए समाज के सभी वर्गों से सम्पर्क स्थापित कर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिछले एक वर्ष में 302 रिचार्ज पिट, 1400 चाल–खाल, 1215 कन्टूर ट्रैन्च, 111 चैक–डैम, 11 नग रैनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक तथा 24881 वृक्षारोपण (प्लान्टेशन) के कार्य किये गये हैं।

जी हाँ। वित्तीय उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

नये पर्यटक क्षेत्रों को विकसित करने में निवेशित धनराशि व पर्यटक क्षेत्रों को विकसित करने के मानक

27–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष में नये पर्यटक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कुल कितना निवेश किया गया तथा कौन–कौन से क्षेत्रों में?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नये पर्यटक क्षेत्र को विकसित करने के क्या मानक हैं ?

श्रीमती अमृता रावत–

भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से गत वर्ष 2011–12 में भारत सरकार की योजना मेगा सर्किट एवं डेस्टिनेशनों के अन्तर्गत पंचप्रयाग पर्यटन सर्किट का विकास (विष्णुप्रयाग, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, कालीमठ कालेश्वर, गोचर), हरिपुरा–नानक सागर–लोहाघाट–नौकुचियाताल–मायावती आश्रम–काठगोदाम टूरिस्ट सर्किट का निर्माण, ईको टूरिज्म अल्मोड़ा का पर्यटन विकास, रामगंगा हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनि की रेती–स्वर्गाश्रम मेगा सर्किट के अवशेष कार्य (मिसिंग गैप), फूड क्राफ्ट संस्था–अल्मोड़ा, सातताल का इको टूरिज्म के रूप में विकास, लैन्सडाउन का इको टूरिज्म के रूप में विकास, बागेश्वर–बैजनाथ–लोहाघाट का पर्यटन सर्किट के रूप में विकास एवं निर्मल गंगोत्री मेगा पर्यटन सर्किट का विकास पर रु0 11430.72 लाख की स्वीकृत किये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू योजनाओं पर रु0 800.00 लाख, विभागीय भवनों के निर्माण/मरम्मत पर रु0 54.87 लाख, जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 946.81 लाख, टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत रु0 8.80 लाख तथा एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत रु0 153.29 लाख, चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर रु0 150.00 लाख, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यटन ग्राम कोटी, इन्द्रौली, परयूल अगोड़ा, माणा, सारी, त्रियुगीनारायण, नैनीताल–अल्मोड़ा–रानीखेत सर्किट के अवशेष कार्यों हेतु रु0 114.90 लाख तथा होटल प्रबन्धन संस्थान (आई0एच0एम0) गढ़ी कैन्ट, देहरादून के गर्ल्स हास्टल के निर्माण पर रु0 100.00 लाख का शासकीय निवेश किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेगा सर्किट/सर्किट/डेस्टिनेशनों, पर्यटन ग्राम एवं अन्य विभिन्न विधाओं के लिए पृथक–पृथक दिशा निर्देश निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी जिला सेक्टर/राज्य सेक्टर योजनाओं के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। भारत सरकार से सम्बन्धित दिशा निर्देश एवं राज्य सरकार के स्तर से सम्बन्धित दिशा निर्देशों की छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। †

जनपद पौड़ी के रिखणीखाल में उ0मा0विद्यालय एवं रा0इ0 कालेज में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवनों का कार्य पूर्ण नहीं करने के सम्बन्ध में

28—श्री दलीप सिंह रावत

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाडियूं एवं राजकीय इंटर कालेज बूंगल गड्ढ़ी में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाए जा रहे भवनों का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा लापरवाह कार्यदायी संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाडियूं एवं राजकीय इण्टर कालेज बूंगल गड्डी में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाये जा रहे भवनों का निर्माण कार्य गतिमान है। कार्यदायी संस्था द्वारा रा0उ0मा0वि0 गाडियूं के चालू भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित आगणन रू0 121.67 लाख परीक्षणाधीन है।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को प्रश्नगत योजना में हुए विलम्ब एवं स्थलीय जाँच के निर्देश दिये गये हैं जाँच एवं स्थलीय आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 128—152 पर)

जनपद टिहरी के धनोल्टी में लालुर पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण

29—श्री महावीर सिंह रांगड़—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालुर पम्पिंग पेयजल योजना का कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा। ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी, विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत लालुर पट्टी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी में निर्धारित समय पर सीवर लाइन बिछाये जाने की योजना पर विचार

30—श्री गणेश जोशी—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी शहर में सीवर लाइन निर्माण से सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी शहर सहित अन्य हिस्सों में सीवर लाइन निर्धारित समय पर बिछाये जाने के लिए कार्ययोजना बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी हाँ।

मसूरी नगर एवं आस–पास के क्षेत्रों हेतु स्वीकृत मसूरी जलोत्सरण योजना अनुमानित लागत रु0 61.73 करोड़ के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाये जाने की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है, जिसके अनुसार योजना में प्राविधानित समस्त सीवर लाइनों का कार्य माह मार्च, 2014 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के सहसपुर में आरकेडिया पेयजल योजना का पुनर्गठन

31—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर—

क्या पेजयल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र में आरकेडिया पेयजल योजना का पुनर्गठन प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो इय योजना का कार्य अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ? और कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

पी0पी0पी0 मोड में योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर विश्व बैंक के संगठन आई0एफ0सी0 के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के पश्चात् आई0एफ0सी0 द्वारा डी0पी0आर0 गठन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र रानीपुर बी0एच0ई0एल0 अन्तर्गत ग्रामों में बन्द पड़े हैण्डपम्पों का पुनः संचालन

32–श्री आदेश चौहान–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी0एच0ई0एल0 के अन्तर्गत ग्राम सीतापुर, सुभाषनगर, बहादराबाद, आन्नकी, औरंगाबाद ज्वालापुर में सैकड़ों हैण्डपम्प खराब (बन्द) हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बन्द पड़े हैण्ड पम्पों को गर्मियों से पूर्व पुनः संचालित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी0एच0ई0एल0 के अन्तर्गत ग्राम सीतापुर, सुभाषनगर, बहादराबाद, आन्नकी, औरंगाबाद ज्वालापुर में वर्तमान तक 91 हैण्डपम्पों के खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, उनमें से 41 को रिबोर करके एवं 50 को मरम्मत करके चालू कर दिया गया है।

बन्द पड़े हैण्डपम्पों को पूर्व में ही चालू कर दिया गया है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र खटीमा के अति दुर्गम क्षेत्रों में हाईस्कूल को इण्टरमीडिएट में उच्चीकृत करने पर विचार

33–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अति दुर्गम क्षेत्र सरगुड़ा बग्गाचव्वन गाँव के छात्रों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए गाँव में स्थित हाईस्कूल को इण्टरमीडिएट में उच्चीकृत करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मानक पूर्ण करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर में परिंदा पम्पिंग योजना से सम्बन्धित ग्रामों में नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में

34–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत परिंदा पम्पिंग योजना से सम्बन्धित ग्राम रिखेड़ा, बन्चूरी, रावतगाँव, बगोड़गाँव, दूगां अकरा, दूगां सकरा, ढूंगाधार, दूगागधेरा, सरवाल रौड़, डाबर डांडा दमराड़ा, पाटा, गुमालगाँव बड़ा, गुमालगाँव छोटा, डांडाविनक, बौरगाँव, बिथ्याणी, में नियमित जलापूर्ति हो रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

ग्राम रिखेड़ा, बन्चूरी, रावतगाँव, दूगां अकरा, ढूंगाधार, दूगागधेरा व बौरगाँव में जलापूर्ति सुचारू है। ढुंगाधारा, दूगा अकरा, डांडा दमराड़ा, पाटा, गुमालगाँव बड़ा, गुमालगाँव छोटा, बगोड़गाँव, सरवाल रोड, डाबर डांडा, डांडाविनक व बिथ्याडी में नियिमत जलापूर्ति नही हो पा रही है।

योजना 40 एल0पी0सी0डी0 की दर पर निर्मित है। प्रारम्भ के गाँवों द्वारा पेयजल की खपत मानक से अधिक करने पर तथा जगह–जगह पर पाइप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण आगे के गाँवों में सुचारू पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में विज्ञान सवित्त मान्यता प्रदान करने पर विचार

35--श्रीमती विजय बड़थ्वाल--

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के अशासकीय वित्त विहीन विज्ञान की मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों में संसाधनों की कमी के कारण विज्ञान कक्षायें संचालित नहीं हो रही हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार गरीब छात्र/छात्राओं की प्रतिभा को मध्यनजर रखते हुए इण्टर स्तर पर शासकीय विद्यालयों की भांति अशासकीय विद्यालयों में भी विज्ञान सवित्त मान्यता प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

जी नहीं।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम के अध्याय-7 के अनुसार हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मान्यता केवल वित्त विहीन प्रदान किया जाना प्राविधानित है। अशासकीय विद्यालयों के संचालन की व्यवस्था प्रबन्ध समितियों द्वारा स्वयं की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान यात्रियों को देय अनुदान का विवरण

36--श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड से प्रारम्भ होने वाली अत्यन्त महत्वपूर्ण व पौराणिक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य के यात्रियों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ?

यदि हाँ, तो राज्य निर्माण के उपरान्त क्या प्रत्येक वर्ष यात्रियों को अनुदान दिया गया है ?

यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत--

जी हाँ।

संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से संचालित उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अनुदान दिया गया है।

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 88 कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अनुदान दिया गया है। (विस्तृत विवरण संलग्न है।) †

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसन्दावाला एवं गढ़ी कैण्ट में ट्यूबवैल की स्थापना या दीर्घकालीन पेयजल योजना संचालित करने पर विचार

37–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मसन्दावाला एवं गढ़ी कैण्ट में पेयजल समस्या होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसन्दावाला एवं गढ़ीकैण्ट में ट्यूबवैल की स्थापना या कोई दीर्घकालीन पेयजल योजना संचालित किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

मसन्दावाला में मिनी नलकूप स्थापित है, जिससे पर्याप्त उत्पादन है, किन्तु वितरण प्रणाली अपर्याप्त होने के कारण पेयजल समस्या है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा। गढ़ीकैण्टर में ट्यूब वैल की योजना का प्राक्कलन विरचनाधीन है। इस पर छावनी परिषद् बोर्ड द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त योजना का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जू0हा0स्कूल एवं हाई स्कूल के उच्चीकरण के मानक एवं वि0स0 क्षेत्र सोमेश्वर में हाईस्कूलों के उच्चीकरण पर विचार

38–श्री अजय टम्टा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जूनियर हाईस्कूल व हाईस्कूल के उच्चीकरण के क्या मानक हैं ?

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 153–157 पर)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में हाईस्कूल–फुलर्खकवाल गाँव के विकास खण्ड ताकुला एवं गैंसोली विकास खण्ड ताड़ीखेत के उच्चीकरण करने पर विचार कर रही हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जूनियर हाईस्कूल में हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण हेतु मानकः– क्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8000 से अधिक होनी चाहिए। प्रस्तावित स्थान पर स्थित जूनियर हाईस्कूल की कक्षा 6–8 की छात्र संख्या कम से कम 85 होनी चाहिए। कक्षा 9 की अनुमानित छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्य हाईस्कूल/इण्टर कालेज संचालित नहीं होना चाहिए एवं विद्यालय के पास निःशुल्क प्रर्याप्त भवन एवं अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

हाईस्कूल से इण्टर स्तर पर उच्चीकरण हेतु मानकः– क्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8000 से अधिक होनी चाहिए। प्रस्तावित राजकीय हाईस्कूल में कक्षा6–10 की छात्र संख्या कम से कम 150 होनी चाहिए। प्रस्तावित विद्यालय का प्रथम बैच हाईस्कूल परीक्षा में कम से कम 5 वर्ष पूर्व सम्मिलित होना चाहिए। कक्षा 11 की अनुमानित छात्र संख्या कम से क25 होनी चाहिए। प्रस्तावित विद्यालय का गत 3 वर्षों का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। 10 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्य इण्टर कालेज संचालित नहीं होना चाहिए एवं विद्यालय के पास पर्याप्त भवन एवं अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

केवल रा0उ0मा0वि0 फुलर्खकवाल गाँव के उच्चीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मानक पूर्ण करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन अधिनियम एवं पर्यटन नियामक बनाने पर विचार

39–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पर्यटन अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है।

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके अन्तर्गत पर्यटन नियामक प्राधिकरण बनाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ, उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 को अधिनियमि किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित विधेयक अधिनियमित होने के उपरान्त विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधुर शिक्षकों को सी0सी0एल0 का लाभ

40–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधुर शिक्षकों को सी0सी0एल0 का लाभ सरकार दे रही हैं ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 मई, 2011 के अनुसार राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को ही सी0सी0एल0 दिये जाने का प्राविधान हैं।

महिला शिक्षिकाओं की भांति विधुर शिक्षकों को स्थानान्तरण नीति में छूट का प्रावधान

41–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग में विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा शिक्षिकाओं को उनके स्थानान्तरण हेतु नीति के तहत छूट का प्रावधान है?

यदि हाँ, तो किस प्रकार की छूट का प्रावधान है ?

विधुर शिक्षिकों को भी स्थानान्तरण नीति में छूट का प्रावधान किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2011 प्रस्तार–11 (छ) में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले

शिक्षकों में विधवा शिक्षिका, तत्पश्चात् तलाकशुदा/परित्यक्ता शिक्षिका तत्पश्चात् अविवाहित शिक्षिका, तत्पश्चात् अन्य शिक्षिकाओं और तत्पश्चात् अन्य शिक्षकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान रिक्ति होने की दशा में स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

औचित्य न होने के कारण।

प्रदेश में नैशनल वैजिटेबिल इनिशिएटिव योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाएं एवं उन पर व्यय धनराशि का विवरण

42—श्री हाजी सरवत करीम अंसारी—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नैशनल वैजिटेबिल इनिशिएटिव योजना के अन्तर्गत कितनी योजनायें संचालित हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उन पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की जा रही है तथा तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

श्रीमती अमृता रावत—

प्रदेश में नेशनल वैजिटेबल इनिशियेटिव योजना के अन्तर्गत दस (10) उप योजनायें संचालित हैं।

सरकार द्वारा इन योजनाओं में वितीय वर्ष 2011—12 एवं 2012—13 में रु0 15.07 करोड़ की धनराशि व्यय की जा रही है। व्यय की जा रही धनराशि का योजनावार विवरण निम्नवत् है :—

क्र0सं0	उपयोजना का नाम	आवंटित धन0 रु0
1.	सामान्य सब्जी बीज उत्पादन में	24787000.00
2.	हाईब्रीड सब्जी उत्पादन में	26963000.00
3.	पालीहाउस निर्माण	43681000.00
4.	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्माण	3630000.00
5.	एकीकृत जीवनाशी प्रबन्धन	1835000.00
6.	प्रिजरवेशन यूनिट का निर्माण	500000.00
7.	पैक हाउस का निर्माण	2550000.00
8.	हस्तचालित ठेला (मोबाइल वैंडिंग कार्ट)	155000.00
9.	कृषकों का प्रशिक्षण	
	(1) राज्य के अन्तर्गत	1523000.00
	(2) एच0आर0डी0	525000.00
10.	बेस लाइन सर्वे/एफ0पी0ओ0 फॉरमेशन	12576500.00

दिनांक 08 अप्रैल, 2011 से सितम्बर, 2011 की समयावधि में सेवानिवृत्त शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित किये जाने के कारण

43–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2011–12 में प्रदेश के विद्यालयों में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके शिक्षकों को सत्रांत लाभ दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2011 में प्राविधानित व्यवस्था के गलत क्रियान्वयन के कारण दिनांक 08 अप्रैल, 2011 से दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के मध्य अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके शिक्षकों को सत्रांत लाभ के अन्तर्गत देय लाभों से वंचित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो दिनांक 08 अप्रैल, 2011 से सितम्बर, 2011 की समयावधि में सेवानिवृत्त शिक्षकों को किन कारणों से वार्षिक वेतन वृद्धि को किन कारणों से वार्षिक वेतन वृद्धि के देय लाभों से वंचित दिया गया है ?

क्या सरकार उपरोक्त व्यवस्थान्तर्गत दिनांक 08 अप्रैल, 2011 से दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के मध्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राकृतिक न्याय के तहत सत्रांत लाभ के अन्तर्गत देय लाभों को प्रदत्त करेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी में शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार पर विचार

44–श्री गणेश जोशी–

क्या संस्कृति मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी में छः आन्दोलनकारी शहीद हो गये थे ?

आन्दोलनकारियों की स्मृति में मसूरी में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था, किन्तु समुचित रख–रखाव एवं जीर्णोद्धार के अभाव में स्मारक जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार किया जाना देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी नहीं।

जी हाँ।

उक्त शहीद स्मारक के रख–रखाव व जीर्णोद्धार हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु0 8.96 लाख की धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, देहरादून को अवमुक्त की गयी है। परन्तु स्थानीय स्तर पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को मसूरी में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि इस शहीद स्मारक को भव्य स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु संस्कृति विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि के अतिरिक्त धनराशि का व्यय मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथोरिटी की योजना का विवरण

45–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथोरिटी की योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कार्य चल रहा है ?

यदि हाँ, तो परियोजना का विवरण क्या है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, भारत सरकार के अधीन, गंगा स्वच्छता अभियान–2020 के सापेक्ष गंगा नदी के किनारे बसे कुल 10 नगरों बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, ऋषिकेश तपोवन, सराय (हरिद्वार) के अन्तर्गत कुल 15 परियोजनाओं सीवरेज एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के कार्य प्रगति पर हैं।

माह फरवरी, 2013 तक कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 45.33 करोड़ के विरूद्ध वर्तमान तक कुल व्यय ₹ 30.79 करोड़ है जबकि भौतिक प्रगति औसतन लगभग 23 प्रतिशत है। एन0जी0आर0बी0ए0 की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा उक्त 15 निर्माणधीन योजनाओं एवं 01 नई योजना (मुनि की रेती ढालवाला जलोत्सारण योजना) के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2013–14 के सापेक्ष कुल ₹ 51.98 करोड़ की धनराशि का परिव्यय (नान–ई0ए0पी0) प्रस्तावित किया गया है।?

सोमेश्वर में स्वैप मोड के अन्तर्गत चयनित योजनाएं एवं वित्तीय स्वीकृति

46—श्री अजय टम्टा—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में कुल कितनी योजनाओं को स्वैप मोड के अन्तर्गत चयनित कर वित्तीय स्वीकृति दी गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी योजनाओं में कार्यपूर्ण हो गया है?

तथा जिनमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसके क्या कारण हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

स्वैप मोड के अन्तर्गत कुल 62 योजनाओं को चयनित किया गया।

कुल 24 योजनाओं में कार्य पूर्ण हो गया है।

कुल 37 योजनाओं के कार्य निर्माणधीन है तथा 01 योजना स्रोत विवाद के कारण निरस्त कर दी है। कार्य पूर्ण न होने का मुख्य कारण स्रोत विवाद, वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति में विलम्ब है।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे।)

*श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, नियम—310 की एक सूचना हम लोग लगातार कई दिन से दे रहे हैं, उसमें आपका विनिश्चय नहीं आया है। मान्यवर, चूँकि उस सूचना पर विपक्ष लगातार बल दे रहा है, इस सूचना के माध्यम से विपक्ष की लगातार यह माँग रही है सिडकुल की जमीन का जो मामला है, इसकी सी0बी0आई0 जाँच हो।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या—5 पर माननीय सदस्य श्री नवप्रभात का नाम पुकारे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट — उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली 2005 के नियम—43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु उद्‌मादी नदी पर दो–मुँहे खाले के बाद पूर्वी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु उद्‌मादी नदी पर दो मुँहे खाले के बाद पूर्वी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में" श्री संदीप भटनागर निवासी ग्राम डाकपत्थर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ कर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा छरबा के पूर्वी तटबंध पर बाढ़ से भूमि कटाव की रोकथाम हेतु शीतला नदी पर पूर्वी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा छरबा के पूर्वी तटबंध पर हजारों बीघा कृषि भूमि शीतला नदी की बाढ़ से भूमि कटाव की रोकथाम हेतु शीतला नदी पर पूर्वी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में" श्री फुलविन्दर सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर, ग्राम सभा छरबा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा डाक पत्थर की बाढ़ से भूमि कटाव की रोकथाम हेतु यमुना नदी पर तटबंध बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा डाक पत्थर की हजारों बीघा कृषि भूमि यमुना नदी की बाढ़ से भूमि कटाव की रोकथाम हेतु यमुना नदी पर तटबंध बनाने के सम्बन्ध में" श्री संदीप भटनागर निवासी ग्राम डाक पत्थर विकास खण्ड विकास नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा, एटनबाग के ग्राम फतेहपुर गाँव की भूमि कटाव की रोकथाम हेतु उद्‌मादी नदी पर उत्तरी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा एटनबाग के ग्राम फतेहपुर गाँव की हजारों बीघा कृषि भूमि उद्‌मादी नदी की बाढ़ से भूमि कटाव की रोकथाम हेतु उद्‌मादी नदी पर उत्तरी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में" श्री किशन लाल निवासी फतेहपुर, ग्राम सभा एटनबाग विकास खण्ड विकास नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री अजय टम्टा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधान सभा समितियों के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत मंत्री किये जाने का प्रस्ताव

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि "यह सदन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति सम्बन्धी समिति में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है और इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013

मू एवं राजस्व मंत्री *(श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 04:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 04 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

आय–व्ययक तथा विनियोग विधेयक एवं अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, विपक्ष नहीं चाहता कि सदन शान्तिपूर्वक चले, इसलिये मैं प्रस्ताव करती हूँ कि (घोर व्यवधान) के नियमों का निलम्बन करते हुऐ आय–व्ययक तथा उससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक को आज ही ले लिया जाय तथा जो विधेयक पुरःस्थापित हो गये हैं, उन पर विचार एवं पारण भी कर लिया जाय। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष *(श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, आज हम लोग शांति से यहाँ पर बैठे हैं, सत्ता पक्ष के इरादे ठीक नहीं लगते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(अनूपूक कार्यसूची वितरित की गई)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुझे लगता है कि सरकार का लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया है, सरकार सदन को नहीं चलाना चाहती है, हम लोग सदन को चलाने के लिए कटिबद्ध हैं, इसलिए हम पूरे सदन का परित्याग करते हैं, जैसे सरकार चलाना चाहे, चला लें।

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

वित्तीय वर्ष 2013–14 में आय–व्ययक के अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–05 निर्वाचन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 123214 हजार (बारह करोड़ बत्तीस लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 123214 हजार (बारह करोड़ बत्तीस लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–7 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 31199338 हजार (तीन हजार एक सौ उन्नीस करोड़ तिरानबे लाख अड़तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर नियोजन सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 31199338 हजार (तीन हजार एक सौ उन्नीस करोड़ तिरानबे लाख अड़तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 4591653 हजार (चार सौ उन्सठ करोड़ सोलह लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 4591653 हजार (चार सौ उन्सठ करोड़ सोलह लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–18 सहकारिता

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18, सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 446265 हजार (चौवालीस करोड़ बासठ लाख पैंसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 446265 हजार (चौवालीस करोड़ बासठ लाख पैंसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 10220199 हजार (एक हजार बाईस करोड़ एक लाख नियानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 10220199 हजार (एक हजार बाईस करोड़ एक लाख नियानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

*श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 12559134 हजार (एक हजार दो सौ पचपन करोड़ इक्यानबे लाख चौंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 12559134 हजार (एक हजार दो सौ पचपन करोड़ इक्यानबे लाख चौंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 7851573 हजार (सात सौ पिचासी करोड़ पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 7851573 हजार (सात सौ पिचासी करोड़ पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–25 खाद्य

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25, खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 2402633 हजार (दो सौ चालीस करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25, खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 2402633 हजार (दो सौ चालीस करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–26 पर्यटन

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1474560 हजार (एक सौ सैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख साठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1474560 हजार (एक सौ सैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख साठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1538781 हजार (एक सौ तिरपन करोड़ सत्तासी लाख इक्यासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1538781 हजार (एक सौ तिरपन करोड़ सत्तासी लाख इक्यासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

शिक्षा मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 48360511 हजार (चार हजार आठ सौ छत्तीस करोड़ पाँच लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 48360511 हजार (चार हजार आठ सौ छत्तीस करोड़ पाँच लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।))

अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 10878773 हजार (एक हजार सतासी करोड़ सतासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 10878773 हजार (एक हजार सतासी करोड़ सतासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 11553198 हजार (एक हजार एक सौ पचपन करोड़ इकतीस लाख अट्ठानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 11553198 हजार (एक हजार एक सौ पचपन करोड़ इकतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–28 पशुपालन

*श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1467345 हजार (एक सौ छियालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1467345 हजार (एक सौ छियालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार

श्रम मंत्री *(श्री हरीश चन्द्र)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1215194 हजार (एक सौ इक्कीस करोड़ इक्यावन लाख चौरानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1215194 हजार (एक सौ इक्कीस करोड़ इक्यावन लाख चौरानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएँ

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 7803520 हजार (सात सौ अस्सी करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 7803520 हजार (सात सौ अस्सी करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–24 परिवहन

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1043283 हजार (एक सौ चार करोड़ बत्तीस लाख तिरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1043283 हजार (एक सौ चार करोड़ बत्तीस लाख तिरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि हर वर्ष के बजट सत्र में माननीय विधायकों को ब्रीफकेश दिया जाता है। इस वर्ष के बजट सत्र में माननीय विधायकों को ब्रीफकेश नहीं दिया गया है, इसलिए सभी माननीय विधायकों को ब्रीफकेश दिया जाय। (हंसी)

अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 9466878 हजार (नौ सौ छियालीस करोड़ अड़सठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 9466878 हजार (नौ सौ छियालीस करोड़ अड़सठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 2475838 हजार (दो सौ सैंतालीस करोड़ अठावन लाख अड़तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 2475838 हजार (दो सौ सैंतालीस करोड़ अठावन लाख अड़तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या–01 विधान सभा

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 421847 हजार (बयालीस करोड़ अठ्ठारह लाख सैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 421847 हजार (बयालीस करोड़ अठ्ठारह लाख सैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद्

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 272501 हजार (सत्ताईस करोड़ पचीस लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 272501 हजार (सत्ताईस करोड़ पचीस लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1561223 हजार (एक सौ छप्पन करोड़ बारह लाख तेईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1561223 हजार (एक सौ छप्पन करोड़ बारह लाख तेईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–08 आबकारी

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 115815 हजार (ग्यारह करोड़ अट्ठावन लाख पन्द्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 115815 हजार (ग्यारह करोड़ अट्ठावन लाख पन्द्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 9861439 हजार (नौ सौ छियासी करोड़ चौदह लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 9861439 हजार (नौ सौ छियासी करोड़ चौदह लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–14 सूचना

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 359736 हजार (पैंतीस करोड़ सतानबे लाख छत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 359736 हजार (पैंतीस करोड़ सतानबे लाख छत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–21 ऊर्जा

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 6027139 हजार (छः सौ दो करोड़ इकहत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 6027139 हजार (छः सौ दो करोड़ इकहत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 13442802 हजार (एक हजार तीन सौ चौवालीस करोड़ अट्ठाईस लाख दो हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 13442802 हजार (एक हजार तीन सौ चौवालीस करोड़ अट्ठाईस लाख दो हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–23 उद्योग

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1033572 हजार (एक सौ तीन करोड़ पैंतीस लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1033572 हजार (एक सौ तीन करोड़ पैंतीस लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–27 वन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 4411183 हजार (चार सौ इकतालीस करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 4411183 हजार (चार सौ इकतालीस करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जाय।

(प्रतियां वितरित की गयी।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013

(विधेयक संख्या वर्ष 2013)

31 मार्च, 2014 समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम — 1–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2013 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2013–14 के लिये रू 253298381000 का दिया जाना — 2–उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी गई धनराशियों, जिन सबका कुल योग रुपये 253298381000 (रुपये पच्चीस हजार तीन सौ उन्तीस करोड़ तिरासी लाख इक्यासी हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग — 3–इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01—	विधान सभा	राजस्व	194347	9221	203568
		पूँजी	227500	0	227500
02—	राज्यपाल	राजस्व	0	56400	56400
		पूँजी	0	0	0
03—	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	272501	0	272501
		पूँजी	0	0	0
04—	न्याय प्रशासन	राजस्व	1311223	262450	1573673
		पूँजी	250000	0	250000
05—	निर्वाचन	राजस्व	123214	0	123214
		पूँजी	0	0	0
06—	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	4321653	22715	4344368
		पूँजी	270000	10000	280000
07—	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	30306732	27028495	57335227
		पूँजी	892606	21527900	22420506
08—	आबकारी	राजस्व	115815	0	115815
		पूँजी	0	0	0
09—	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	112777	112777
		पूँजी	0	40000	40000
10—	पुलिस एवं जेल	राजस्व	9361438	0	9361438
		पूँजी	500001	0	500001
11—	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	46327324	0	46327324
		पूँजी	3033187	0	3033187
12—	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	9412225	0	9412225
		पूँजी	3146909	0	3146909
13—	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6242273	0	6242273
		पूँजी	4636500	0	4636500
14—	सूचना	राजस्व	349736	0	349736
		पूँजी	10000	0	10000

1	2	3			
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	7636017	0	7636017
		पूँजी	167503	0	167503
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	1167194	0	1167194
		पूँजी	48000	0	48000
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	4088108	0	4088108
		पूँजी	7465090	0	7465090
18–	सहकारिता	राजस्व	401265	0	401265
		पूँजी	45000	0	45000
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	4847723	0	4847723
		पूँजी	3003850	0	3003850
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	3632199	0	3632199
		पूँजी	6588000	0	6588000
21–	ऊर्जा	राजस्व	52737	0	52737
		पूँजी	5974402	0	5974402
22–	परिवहन	राजस्व	344278	0	344278
		पूँजी	699005	0	699005
25–	खाद्य	राजस्व	2367632	0	2367632
		पूँजी	35001	0	35001
26–	पर्यटन	राजस्व	698616	0	698616
		पूँजी	775944	0	775944
27–	वन	राजस्व	3780242	0	3780242
		पूँजी	650941	0	650941
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	1412445	0	1412445
		पूँजी	54900	0	54900
29–	औद्योगिक विकास	राजस्व	1538781	5976	1544757
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	5594731	0	5594731
		पूँजी	3872147	0	3872147
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	1615578	0	1615578
		पूँजी	860260	0	860260
	योग	राजस्व	153000647	27541334	180541981
		पूँजी	51178500	21577900	72756400
	महायोग		204179147	49119234	253298381

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1	2	3

16. जल सम्भरण और समग्र निष्पादन का मानक

17. निष्पादन के स्तर के सम्बन्ध में सूचना

18. सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध

अध्याय—चार

माध्यस्थम, अपराध और शास्तियाँ

19. माध्यस्थम

20. अपराध और शास्तियाँ

21. उपयोगकर्ता और अपराध

22. अपराध का प्रशमन

23. अपराध का संज्ञान

24. शक्तियाँ और कार्यवाहियाँ, अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी

अध्याय—पाँच

लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

25. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान

26. लेखा और लेखा परीक्षा

27. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

अध्याय—छः

प्रकीर्ण

28. भू—राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने योग्य धनराशि

29. अर्थदण्ड या प्रभारों का लागू

30. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

31. अधिकारिता पर रोक

32. प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी

33. प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होगा

34. नियम बनाने की शक्ति

35. विनियम बनाने की शक्ति

36. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

- खण्ड–2 से खण्ड–36 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2013)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय–एक	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, वितरण और लागू होना	
2.	परिभाषाएं	
	अध्याय–दो	
	प्राधिकरण की स्थापना	
3.	प्राधिकरण की स्थापना	
4.	प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता	
5.	अध्यक्ष या सदस्य होने के अनर्हता	
6.	चयन समिति का गठन और कृत्य	
7.	अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें	
8.	अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जाना	
9.	प्राधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तों की राज्य सरकार की शक्ति	
10.	प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ	
11.	रिक्तियाँ आदि कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी	
	अध्याय–तीन	
	प्राधिकरण की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य	
12.	प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य	
13.	प्राधिकरण की सामान्य नीतिया	
14.	प्राधिकरण की शक्तियाँ	
15.	निर्देश जारी करने की शक्ति	

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2013)

राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण और पोषणीय प्रबन्धन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजन के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभान्वित भू-स्वामियों के बाद रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर निर्धारित करने के लिए उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) इस अधिनियम के उपबन्ध, उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 और उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लागू होंगे।

परिभाषाएं

2. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(क) "कार्यक्षेत्र" से उत्तराखण्ड के ऐसे सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से है, जिसमें जल का प्रबन्धन और उसका संभरण सार्वजनिक या निजी अभिकरण द्वारा प्रयोग करने वाले विभिन्न खण्डों/विभागों/उपभोक्ता समूह को किया जाता हो या ऐसे क्षेत्र से है, जो बाढ़ संरक्षण और जल-निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित होता हो;

(ख) "कछार" से किसी नदी के इर्द–गिर्द के ऐसे भू–क्षेत्र से है, जिससे धारायें उनमें प्रवाहित होती है;

(ग) "थोक जल हकदारी" से किसी परियोजना, नदी प्रणाली या भण्डारण सुविधा द्वारा उत्पादित जल संसाधन की, हकदारी प्रदान करने वाले आदेश में यथा उपबन्धित किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये, हिस्सेदारी हेतु आयोग द्वारा किये गये मात्रात्मक प्राधिकार अभिप्रेत है;

(घ) "उपयोग की श्रेणी" से विभिन्न प्रयोजनों यथा पेय और घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक, सिंचाई, विद्युत, कृषि और पर्यावरण सम्बन्धी प्रयोजन आदि और उसके अन्तर्गत यथाविहित अन्य प्रयोजन भी है, के लिये जल उपयोग के वर्गीकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "उपकर" से बाढ़ संरक्षण और जल–निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी/पट्टाधारियों से प्रभारित की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;

(च) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) "प्राधिकरण" से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ज) "हकदारी" से इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये जल के उपयोग हेतु प्राधिकरण द्वारा किये गये प्राधिकार अभिप्रेत है;

(झ) "भू–जल" से ऐसे जल से है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर ऐसे भू–वैज्ञानिक संरचना को छोड़कर जिसमें जल स्थिर या गतिमान हो, जिसके अन्तर्गत भू–जल के जलाशय भी है, भूतल के नीचे किसी जलकुंड में विद्यमान रहता हो;

(ञ) "भू–गर्भ जल हकदारी" से प्राधिकारी द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् एवं विधिक रूप से अनुज्ञा प्राप्त, पंजीकृत और निर्मित किसी नलकूप, बोरिंग कूप या अन्य कूप से भू–गर्भ जल निकालने के किसी अन्य साधन द्वारा मैदानों और कुओं से निकाले जाने वाले जल की आयतनिक मात्रा के लिए व्यक्तिगत/उपभोक्ता समूह थोक जल हकदारी अभिप्रेत है;

(ट) "व्यक्तिगत जल हकदारी" से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट थोक जल हकदारी से भिन्न जल के प्रयोग के लिए प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ठ) "एकीकृत राज्य जल योजना" से सतही और भूजल दोहन के प्रयोग के लिए प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित जल योजना अभिप्रेत है;

(ड) "लाइसेंस" से प्राधिकरण द्वारा यथाविहित रूप से प्रदान किये गये लाइसेंस अभिप्रेत है;

(ढ) "लाइसेंसधारी" से ऐसे व्यक्ति/संगठन से है जो जल संभरण प्रणाली का अनुरक्षण करता हो, जल का संभरण करता हो और जल टैरिफ एकत्रित करता हो या जो नलकूप/डीजल पंपिंग सेट का स्वामी हो या किसी प्रयोजन के लिये, जिसके अन्तर्गत भू–गर्भ जल के दोहन, द्वारा घरेलू उपयोग भी है, भू–गर्भ जल का उपयोग करता हो;

(ण) "सदस्य" से प्राधिकरण के किसी सदस्य अभिप्रेत है;

(त) "अधिसूचित क्षेत्र" से अत्यधिक दोहित या संकटपूर्ण श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली इकाई/न्याय पंचायत अभिप्रेत है;

(थ) "विहित प्राधिकारी" से जल संसाधन प्रबन्धन प्रणाली के भीतर विभिन्न स्तरों पर किसी ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा किसी प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध जल का कोटा या उसकी मात्रा का उपयोग प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से निर्णत हकदारी से आवंटित प्रतिशत के रूप में वार्षिक या मौसम के आधार पर करने हेतु अवधारित या घोषित करने के लिये प्राधिकृत किया हो;

(द) "परियोजना स्तरीय इकाई" से किसी जल संसाधन परियोजना के अन्तर्गत किसी सामान्य संभरण स्रोत से समस्त जल उपभोक्ता इकाईयों के किसी समूह अभिप्रेत है;

(ध) "कोटा" से किसी हकदारी धारक को उपलब्ध कराये गये जल की ऐसी आयतनिक मात्रा अभिप्रेत है, जिसे वार्षिक या मौसम के आधार पर आवंटन प्रतिशत द्वारा हकदारी में गुणा करके प्राप्त किया जाता है;

(न) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों अभिप्रेत है;

(प) "चयन समिति" से अध्याय–दो की धारा 6 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(फ) "सीवर व्यवस्था" से किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल व्यर्थ द्रव्य पदार्थ, अवमल गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने अभिप्रेत है;

(ब) "राज्य जल नीति" से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नीति अभिप्रेत है;

(भ) "टैरिफ" से जल संभरण उपलब्ध कराने हेतु लागू विनिर्दिष्ट प्रभार या प्रभारों के वर्ग अभिप्रेत हैं;

(म) "उपयोगकर्ता" से किसी जल प्रयोक्ता इकाई या अभिकरण, कम्पनी, व्यक्ति, निदेशक आदि अभिप्रेत है, जो जल के प्रबन्धन, शोधन और कृषि, बागवानी, घरेलू, उद्योगों, नगरपालिका/ग्रामीण जल संभरण को वितरण करने के लिए या प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रयोजन के लिय उत्तरदायी हो;

(कक) "भू–गर्भ जल प्रयोक्ता" से व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिये भू–गर्भ जल का स्वामित्व रखने या उपयोग करने वाली किसी कम्पनी या अधिष्ठान, चाहे वह सरकारी हो या निजी, सहित किसी संस्था के व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी व्यक्ति/व्यक्तियों अभिप्रेत है;

(कख) "जल" से नदियों में या किसी नदी के किसी भाग में, धारा, झील, जलधत या प्राकृतिक जल निकास की नहर में जल के प्राकृतिक संचयन से, मल और औद्योगिक उच्छिष्ट आदि के शोधन के पश्चात् पुनः चक्रित जल अर्थात् जल संभरण और सीवर–व्यवस्था, सिंचाई और नहरों, जल–निकास और तटबन्ध, जल संग्रहण और जल विद्युत और भू–जल से प्राप्त होने वाले जल या जलीय चक्र के अन्तर्गत संगृहीत या प्रवाहित सभी प्रकार के (ठोस, द्रव या वाष्प) ऐसे जल से हैं जो जीवन के पोषणीय गुणवत्ता या पोषणीय प्राकृतिक पर्यावरण के लिये आवश्यक है;

(कग) ''जल प्रयोक्ता इकाई'' से जल प्रयोक्ता संघ, उपयोगकर्ता, औद्योगिक जल प्रयोक्ता संघ या किसी अन्य समूह या व्यक्ति सहित किसी ऐसी जल प्रयोक्ता इकाई से है जो जल हकदारी को प्राप्त करने एवं उसका उपयोग करने के लिये प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत की गयी हो;

(कघ) ''जल उपलब्धता'' से किसी अवधि, या मौसम या वर्ष, के लिये प्रयोग हेतु सतही या भूजल जो पुनःभरण योग्य है, की उपलब्धता अभिप्रेत है;

(कङ) ''जल गुणवत्ता'' से ऐसे सुलभ जल अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उपभोग व उस प्रयोजन, जिसके लिये उसका संभरण किया जाता है, के लिये सुरक्षित है।

अध्याय–दो

प्राधिकरण की स्थापना

प्राधिकरण की स्थापना

3. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जिसे उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशिक कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय देहरादून में होगा।

(4) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक संख्या के सदस्य, जैसा कि राजय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, होंगें।

(5) अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में निर्दिष्ट चयन समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता

4. (1) केवल ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जो नीचे उल्लिखित अर्हताएं रखता हो।

(क) अध्यक्ष–अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से सम्बन्धित विभागों का अनुभव रखता हो;

(ख) सदस्यगण–

(एक) एक सदस्य जल संसाधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जो किसी सामान्य प्राप्त विश्वविद्याल/संस्थान की सिविल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और सिंचाई/जल संसाधान के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो और मुख्य अभियन्ता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो। उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जल स्रोत/संसाधन की पूर्ण जानकारी रखता हो;

(दो) एक सदस्य जल संसाधन अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जो अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो या वित्त/एकाउण्टेंसी में एम0बी0ए0 हो। उसको किसी प्रतिष्ठित प्रबन्ध संस्थान में आचार्य के रूप में या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4–क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अर्न्तगत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करने के साथ कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिये या उसकी वित्त, विनियम, टैरिफ संरचना आदि से सम्बन्धित सारभूत व्यावसायिक पृष्ठभूमि अवश्य होनी चाहिये;

(तीन) एक सदस्य पेयजल और उच्छिष्ट (व्यर्थ पानी) जल प्रबन्धन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से सिविल/यांत्रिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो, उसको नगरीय, ग्रामीण जल संभरण, जल निकास, सीवर व्यवस्था और उच्छिष्ट (व्यर्थ पानी) जल प्रबन्धक के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये और उसने जल संभरण के लिये भूजल विकास और वृहद जल शोधन संयंत्र में विशिष्ट अनुभव रखने के साथ मुख्य अभियन्ता के रूप में या उसके समकक्ष पद पर सेवा की हो;

(चार) एक सदस्य कृषि, भू–प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से कृषि, कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको कृषि, उद्योग, अध्यापन, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(4) जहाँ अध्यक्ष की अनुपस्थिति बीमारी, मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो या जहाँ अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो, वहाँ अध्यक्ष द्वारा उसकी ओर से नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नाम–निर्देशन के अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हो, वहाँ विद्यमान सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष या सदस्य होने के अनर्हता

5\. कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह हो जायेगा, यदि वह--

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया हो; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो और कारावास की सजा से दण्डित किया गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(च) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य हो या उसके निर्वाचन के लिए प्रत्याशी हो; या

(छ) किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य हो या उसमें कोई पद धारण किया हो।

चयन समिति का गठन और कृत्य

6\. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगी। समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	– पदेन अध्यक्ष
(ख)	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग या उसका नाम-निर्देशिती, जो केन्द्रीय दल आयोग का अध्यक्ष होगा	– पदेन सदस्य
(ग)	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	– पदेन सदस्य
(घ)	निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान काशीपुर	– पदेन सदस्य
(ङ)	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।	– पदेन सदस्य सचिव

(2) राज्य सरकार मृत्यु त्याग–पत्र या हटाये जाने के कारण कोई रिक्ति होने के दिनांक से एक माह के भीतर और अध्यक्ष या सदस्य की अधिवर्षता या उसके कार्यकाल की समाप्ति से छः माह पूर्व रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को निर्देश देगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय चयन समिति को यथास्थिति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में चयनित किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति के कार्यनिष्पादन, अभिलेख, योग्यता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अर्हताओं और अनुभव पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा।

(4) चयन समिति, निर्देश दिये जाने के दिनांक से दो माह के भीतर सदस्यों के चयन को अन्तिम रूप देगी।

(5) चयन समिति, उसे निर्देशित की गयी प्रत्येक रिक्ति के लिये तीन नामों के पैनल की संस्तुति करेगी।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार किया जाय, चयन समिति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचित करेगा:–

(क) निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय को कर रहे किसी कार्यालय नियोजन या परामर्शदात्री अनुबन्ध या व्यवस्था का जो उस व्यक्ति या उसके नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या अन्यथा नियंत्रण में किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय के नाम/माध्यम से करता हो;–

(एक) भू–जल अपयोजन, जल वितरण, भूजल का निकाला जाना या जल संभरण;

(दो) जल उद्योग से सम्बन्धित मशीनरी, संयंत्र उपस्कर, उपकरण या साज–सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाड़ा या उनकी आपूर्ति या उनका संव्यवहार;

(तीन) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) में विर्दिष्ट किसी कारबार के लिये कोई व्यावसायिक सेवायें उपलब्ध कराने वाले कोई इकाई;

(ख) ऐसे अन्य विवरण और सूचना जैसा कि चयन समिति द्वारा विहित किया जाय।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त विवरण को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति कि चयन और उसकी संस्तुति के समय चयन समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।

(8) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में उपधारा (6) में उल्लिखित कारबार में रूचि से स्वयं को निर्निहित रखेगा।

(9) यदि, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी, प्राधिकारणों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उस सेवा से अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्राप्त कर लेगा।

(10) जब तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण करता है और किसी भी कारण, जो भी हो, से अध्यक्ष या सदस्य से उसके प्रविरत हो जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक वह उपधारा (6) में उल्लिखित किसी कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई पद, नियोजन या परामर्शदात्री व्यवस्था या कोई वित्तीय हित प्राप्त, धारण या अनुरक्षित नहीं करेगा और यदि वह अनैच्छिक रूप में या उत्तराधिकार या वसीयती व्ययन स्वरूप ऐसा कोई हित प्राप्त करता है तो वह ऐसा हित प्राप्त किये जाने के तीन माह की अवधि के भीतर उस हित से स्वयं को निर्निहित कर लेगा।

(11) किसी व्यक्ति को संस्तुत करने से पूर्व चयन समिति स्वयं का समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति के पास उपधारा (6) में यथानिर्दिष्ट ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।

(12) चयन समिति के समस्त विनिश्चय बहुमत द्वारा होंगे।

(13) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(14) अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति, चयन समिति में केवल किसी प्रकार की रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

7. (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को अनधिक दो लगातार अवधि तक के लिये पुनर्नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह और अध्यक्ष या कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को एक माह की लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकता है या उसे धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष और प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा अन्य निबन्धन एवं सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित की जाय।

(5) अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात्, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे।

(6) इस रूप में पद धारण के प्रविरत होने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य :-

(क) राज्य सरकार के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये राज्य सरकार की अनुज्ञा के सिवाय उस दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये पात्र नहीं होगा, जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है;

(ख) उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये किसी वाणिज्यिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा, जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है; और

(ग) प्राधिकरण के समक्ष किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ–

(एक) "राज्य सरकार के अधीन नियोजन" में किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित किसी निगम या समिति के अधीन नियोजन सम्मिलित है;

(दो) "वाणिज्यिक नियोजन" से जल संसाधन से सम्बन्धित उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में संलग्न किसी व्यक्ति के अधीन या उसके अभिकरण में किसी हैसियत से नियोजन से है और उसमें किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का साझीदार भी सम्मिलित है और इसमें या तो स्वतंत्र रूप में या किसी फर्म के साझीदार के रूप में या किसी सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में संव्यवहार स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है।

अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जाना

8. (1) इस प्रयोजनार्थ उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तर के अधिकारियों को दिये गये निर्देश पर सरकार के सचिव के समकक्ष अधिकारियों से नियुक्त तीन जाँच अधिकारियों के पैनल द्वारा की गयी जाँच के आधार पर और विपक्ष के नेता के परामर्श से सूचित किये जाने के पश्चात् कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिये, प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही राज्य सरकार उसके पद से हटा सकेगी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसने धारा 5 में उल्लिखित किसी अनर्हता को प्राप्त किया हो।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या किसी सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख) खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से तभी हटाया जायेगा, जब कि इस निमित्त मुख्य न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा की गयी, जाँच के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये निर्देश के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा सूचित न कर दिया गया हो कि उक्त सदस्य को ऐसे आधारों पर हटा दिया जाना चाहिए।

(4) राज्य सरकार, यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अन्तिम विनिश्चय की सूचना, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष या सम्बन्धित सदस्य को दी जायेगी।

प्राधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तों की राज्य सरकार की शक्ति

9. (1) प्राधिकरण, अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन ऐसे कर्तव्यों, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को करने एवं उनका निष्पादन करने के लिये एक सचिव को नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, राज्य जल संसाधन अभिकरण / राज्य जल संसाधन डाटा एवं विश्लेषण केन्द्र से आवश्यक आदान प्राप्त करेगा, जो प्राधिकरण हेतु तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। प्राधिकरण ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जैसा कि वह अपने कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिय आवश्यक समझे। प्राधिकरण में अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा।

(3) प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायें।

(4) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित से सिवाय प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की निबन्धन एवं सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व उनके लिए लागू निबन्धन एवं सेवा शर्तों से कम लाभकारी नहीं होगी और वे उनके लिये अलाभकारी नहीं होगी।

(5) राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी।

(6) प्राधिकरण में किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी सिवाय इसके कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे आधारों यथा पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, पदच्युति या अधिवर्षता पर या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से संप्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित हो तो वह राज्य सरकार के अधीन सेवा से संप्रवर्तित रहेगा:

परन्तु यह कि ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन, अवकाश, भत्तों, सेवानिवृत्ति, पेंशन, भविष्य निर्वाह निधि और अन्य सेवा शर्तों से सम्बधित समस्त मामलों का विनियमन, राज्य सरकार सिविल सेवा नियमावली या ऐसी अन्य नियमावली, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधन द्वारा किया जा सकेगा।

प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ

10. (1) प्राधिकरण राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा और अपनी बैठकों में (अपनी बैठकों की गणपूर्ति सहित) कार्य को संव्यवहृत करने में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का संप्रेक्षण करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय।

(2) अध्यक्ष या यदि वह प्राधिकरण की बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ हो तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नाम–निर्देशन के अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हो, वहाँ उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वयं के मध्य से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे समस्त मामलों, जो प्राधिकरण के समक्ष आते हैं, पर विनिश्चय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

(4) प्राधिकरण के समस्त निर्णय, निदेश और आदेश तर्कसंगत आधार पर लिखित में होंगे और किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षणार्थ उपलब्ध होंगे और उनकी प्रतियाँ भी ऐसी रीति से उपलब्ध करायी जायेंगी, जैसी कि प्राधिकरण अवधारित करें।

(5) प्राधिकरण अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

(6) प्राधिकरण के समस्त आदेशों और विनिश्चयों को सचिव या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

रिक्तियाँ आदि कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी

11. प्राधिकरण के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी या उसको अविधिमान्य नहीं किया जायेगा कि कोई रिक्ति विद्यमान थी या प्राधिकरण के गठन में कोई त्रुटि थी।

अध्याय–तीन

प्राधिकरण की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य

प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य

12. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा; अर्थात् :–

(क) राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अन्तर्गत जल संसाधनों के सम्पोषणीय प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य जल संसाधन अभिकरण द्वारा विकसित किये गये एकीकृत राज्य जल योजना/कछार योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ख) उपयोगकर्ता और परियोजना स्तर पर और विभिन्न श्रेणी के जल उपयोग के लिए और विभिन्न जल प्रयोक्ता इकाई के मध्य ऐसे निबन्धन और शर्तों, जो ऐसे वितरण हेतु विहित की जायें, पर राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अन्तर्गत हकदारी के आवंटन एवं संवितरण को अवधारित करना;

(ग) राज्य के भू–पृष्ठ और भू–गर्भ जल के अपयोजन, भण्डारण और उपयोग के हकदारी में उपान्तरण के लिए मानदण्ड निर्धारित करना;

(घ) सम्बन्धित इकाई द्वारा नदी कछार/उप कछार/पर्वतीय क्षेत्र/तराई क्षेत्र प्रस्तावित नई जल संसाधन परियोजनाओं का पुनर्विलोकन करना और उन्हें यह सुनिश्चित करते हुए स्वीकृति प्रदान करना कि प्रस्ताव, विशेष रूप से प्रत्येक इकाई के जल आवंटन के सम्बन्ध में, एकीकृत राज्य जल योजना के अनुरूप है अर्थात् आर्थिक रूप से, जल भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से और पर्यावरणीय रूप से जीवनक्षम है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मात्रा और उपयोग के प्रकार दोनों में वास्तविक जल उपयोग, प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी हकदारी के अनुपालन में है, जल उपयोग की हकदारियों की प्रवर्तन अनुश्रवण और माप प्रणाली स्थापित करना;

(च) पर्यावरण के संरक्षण का अनुश्रवण करना और स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार सतही और भूजल संसाधनों की गुणवत्ता की संरक्षा और सुरक्षा के लिए रूपरेखा के विकास को सुगम बनाना;

(छ) यदि कोई जल प्रयोक्ता ईकाई/निजी समूह/विभाग किसी सतही जल या भूजल स्रोत को प्रदूषित करती है या प्रदूषण का कारण बनती है और इस प्रकार से जल गुणवत्ता के स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के संधारण का अतिलंघन होता है तो हकदारी वापस लेना या कोई कार्यवाही करना जैसा कि आवश्यक समझा जाय;

(ज) ऐसे किसी सरकारी या निजी संगठन या अभिकरण, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या शास्ति अधिरोपित करना, जो प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट अनुमोदन या उसकी स्वीकृति के बिना किसी भू–पृष्ठ या भू–गर्भ जल संसाधन की प्रास्थिति को बदलता है, परिवर्तित करता है या बदलाव अथवा परिवर्तन का करण बनता है;

(झ) जैसा और जब आवश्यक समझा जाय हकदारी की समय–समय पर समीक्षा करना;

(ञ) प्राधिकरण या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा थोक जल हकदारी को पंजीकृत करना और उसका अनुश्रवण करना;

(ट) जल के अपव्यय को न्यूनीकृत करने के लिए जल और अपशिष्ट जल क्षेत्र के क्रियाकलापों में स्पर्द्धा, कार्यक्षमता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना;

(ठ) उत्तम जल प्रबन्धन तकनीकी को बढ़ावा देना;

(ड) भू-गर्भ जली पुनर्भरण में वृद्धि करने के लिए वर्षा जल संचयन को प्रवर्तित करना;

(ढ) प्रशासन, प्रचालन, अनुरक्षण, ह्रास और राजसहायता सहित समस्त लागतों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् जल के उपयोग के लिए जल टैरिफ प्रणाली और प्रभारों को नियत करना और उन्हें विनियमित करना;

(ण) समय-समय पर टैरिफ/जल प्रभारों की समीक्षा करना और उनका पुनरीक्षण करना;

(त) नयी परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किये गये बाढ़ संरक्षण और जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भू-स्वामी से प्रभारित किये जाने वाले उपकर की दर को अवधारित करना और उसे नियत करना;

(थ) प्राधिकरण द्वारा प्रधिकृत किसी उपयुक्त अभिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी विनिश्चयों या आदेशों को प्रवर्तित करना या इस प्रयोजन के लिए किसी विद्यमान अभिकरण को सशक्त करना;

(द) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को निर्दिष्ट किसी मामले में राज्य सरकार की सहायता करना और उसे परामर्श देना।

प्राधिकरण की सामान्य नीतियाँ

13. (1) प्राधिकरण, राज्य जल नीति की रूपरेखा के अन्तर्गत कार्य करेगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य में कार्यकारी अभिकरणों के माध्यम से राज्य नीति के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में ठोस संरक्षण एवं प्रबन्धन रीतियों को बढ़ावा देगा और उनका अनुश्रवण करेगा।

(3) प्राधिकरण, संसुगत राज्य अभिकरणों के पूर्ण समन्वय से राज्य के भीतर जल गुणवत्ता में वृद्धि और सके संरक्षण के निमित्त सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगा।

प्राधिकरण की शक्तियाँ

14. (1) प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन सम्बन्धी कृत्यों के निष्पादन के दौरान, निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ होगी अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उपस्थिति के लिये दबाव डालना तथा उसकी शपथपूर्वक परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति का अधियाचन करना; या

(ङ) साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) ऐसे अन्य मामले, जो चिन्हित किये जायें।

(2) कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या अभिकरण या उपयोगकर्ता :-

(क) जल अंतरण, वितरण एवं जल के उपभोग से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में प्राधिकरण के किसी अधिकारी के समक्ष ऐसी पुस्तिकाएं, लेखा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो; और

(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को अपने स्वामित्व, शक्ति या नियंत्रण में ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो।

(3) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाहियों के दौरान प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो किसी इकाई अथवा व्यक्ति की या उसके सम्बन्धित कोई

पुस्तिकायें या दस्तावेज, जिनके लिये ऐसी जाँच की जा रही हो या कार्यवाही सम्बन्धित हो, या जिसे ऐसी इकाई के स्वामी से ऐसी जाँच या कार्यवाही में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय, किसी लिखित आदेश द्वारा नष्ट किये जा रहे है या नष्ट किये जा सकते हैं वहाँ प्राधिकरण अपने किसी अधिकारी को प्रवेश, तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 और 240–क के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, प्राधिकृत कर सकता है।

(4) प्राधिकरण अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह से परामर्श ले सकता है जो प्राधिकरण के विनिश्चयों द्वारा प्रभावित हो या प्रभावित होना सम्भाव्य हो।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कोई नोटिस जारी की गयी हो, ऐसी नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट सूचना, विवरण बही, लेखा और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करायेगा।

निर्देश जारी करने की शक्ति

15. राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।

जल सम्भरण और समग्र निष्पादन का मानक

16. प्राधिकरण समय–समय पर :–

(क) जल सम्भरण सेवा उपभोक्ताओं द्वारा जल के कुशल प्रयोग के संवर्धन के सम्बन्ध के समग्र निष्पादन के ऐसे मानकों का अवधारण कर सकता है, जो उसकी राय में मितव्ययितापूर्ण हो और ऐसे लाइसेन्सधारी द्वारा प्राप्त किया जा सके और भिन्न–भिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा भिन्न–भिन्न मानक अवधारित किये जा सकते हैं और

(ख) इस प्रकार अवधारित मानकों को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकता है, जैसा प्राधिकरण उचित समझे।

निष्पादन के स्तर के सम्बन्ध में सूचना

17. (1) प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक लाइसेंसधारी प्राधिकरण के समक्ष धारा 16 के अधीन अवधारित प्रत्येक मानक के सम्बन्ध में लाइसेंसधारी द्वारा किये गये निष्पादन के स्तर को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्राप्त ऐसी सूचना को, जिसे वह आवश्यक समझे, सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कर सकता है।

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध

18. (1) इस अधिनियम के यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति या कारोबार के सम्बन्ध में कोई सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गयी है या उसे प्राप्त हुई है, वर्गीकृत के रूप में समझी जायेगी और उसे प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति या कारबार के प्रभारित व्यक्ति सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जायेगा। :

परन्तु यह कि ऐसी सूचना को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य के महालेखाकार को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में उसकी आवश्यकता हो, प्रकट किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्विष्ट प्रतिबन्ध टैरिफ से सम्बन्धित सूचना पर लागू नहीं होगा।

(3) प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना गोपनीय रखी जायेगी और उसे किसी व्यक्ति या अभिकरण को केवल प्राधिकरण की अनुमति से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

अध्याय–चार

माध्यस्थम, अपराध और शास्तियाँ

माध्यस्थम

19. धारा 36 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में लाइसेंसधारी या उपयोगकर्ताओं के मध्य किसी विवाद या मतभेद के होने पर इसे माध्यस्थम के लिये प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जा सकता है। प्राधिकरण विवाद को न्याय निर्णीत करने और निपटाने के लिये माध्यस्थम के रूप में स्वयं या किसी मध्यस्थ को नामित कर सकता है। मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में दी गयी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

अपराध और शास्तियाँ

20. (1) कोई भी व्यक्ति, जो :–

(क) इस अधिनियम, या इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के उपबन्धों के उल्लंघन में जल के वितरण या आपूर्ति के कारबार में संलिप्त होता है; या

(ख) इस अधिनियम, के अधीन किसी निदेश, आदेश या अपेक्षा का पालन करने या उसे कार्यान्वित करने से समुचित कारण के बिना अस्वीकार करता है या असफल रहता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास या रुपये एक लाख तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा और प्रथम अपराध के पश्चात् जिस अवधि में अपराध चलता रहे, प्रत्येक दिन के लिये रुपये बीस हजार तक की शास्ति से और भी दण्डित किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को छः मास तक के कारावास या रुपये एक लाख तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा और प्रथम अपराध के पश्चात् जिस अवधि में अपराध चलता रहे, प्रत्येक दिन के लिये रुपये पाँच हजार तक की शास्ति से और भी दण्डित किया जा सकेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा अपराध

21. (1) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि उपयोगकर्ता है तो उपयोगकर्ता के साथ–साथ अपराध होने के समय उसके कारबार के संव्यवहार के लिए उपयोगकर्ता के प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को भी अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही के लिये दायी होगा और तद्नुसार दण्डनीय होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर देता है कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए पर्याप्त तत्परता दिखायी थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात को होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध उपयोगकर्ता द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उपयोगकर्ता के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या अपराध उनकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अधिकारी को भी अपराध का दोषी माना जायेगा और कार्यवाही के दायी होंगे तथा तद्नुसार दण्डनीय होंगे।

अपराध का प्रशमन

22. (1) प्राधिकरण, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया या किसी अपराध के लिए युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध है, रुपये एक लाख से अनधिक की धनराशि की राशि प्रशमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है और अपराध का शमन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के प्रशमित हो जाने पर ऐसे अपराध के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी रखी जायेगी और यदि उसके विरूद्ध उस उपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है तो ऐसा प्रशमन उसके दोषमुक्त होने के समान प्रभावी होगा।

अपराध का संज्ञान

23. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय तब तक प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से शिकायत प्राप्त हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण अधिकारिता वाले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी से निम्न किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

शक्तियाँ और कार्यवाहियाँ, अन्य कार्यवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी

24. किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियाँ और कार्यवाहियाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों और कार्रवाइयों के अतिरिक्त होंगी और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगी।

अध्याय–पाँच

लेखा, लेखा परीक्षण और रिपोर्ट

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान

25. (1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे :

परन्तु यह कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में व्यय राज्य की समेकित निधि से भारित किया जायेगा।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निष्पादन के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा और प्राधिकरण के व्यय के लिए फीस भी प्रभारित कर सकता है।

(3) प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले शुल्क/याचिकाओं/विवादों के शुल्क की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

26. (1) प्राधिकरण, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करायेगा।

(2) प्राधिकरण, लेखे की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे अन्तराल पर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा से सम्बन्धित उपगत व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा महालेखाकार को किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण, के लेखे के वार्षिक विवरण की प्रतियाँ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएगी।

(4) प्राधिकरण (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्राधिकरण के लेखे के वार्षिक विवरण की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित एक प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

27. (1) प्राधिकरण, विगत वित्तीय वर्ष में अपने कार्यकलापों का पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार करेगा और इसकी प्रतियाँ सरकार को अग्रसारित की जाएगी।

(2) राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने योग्य धनराशि

28. इस अध्याय के अधीन देय धनराशि के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि को, प्राधिकरण के सचिव के प्रमाण–पत्र पर भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूल किया जा सकेगा।

अर्थदण्ड या प्रभारों का लागू

29. इस अधिनियम के अधीन किसी अर्थदण्ड या प्रभारों को अधिरोपित करते समय प्राधिकरण निदेश दे सकता है कि उसकी पूर्ण धनराशि या उसका कोई भाग कार्यवाही की लागत के भुगतान में या प्रति प्रवृत्त होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

30. किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों या आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अधिकारिता पर रोक

31. इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्यवाही अपील योग्य नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय की किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे प्राधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विनिश्चय करने के लिए सशक्त है।

प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी

32. प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219 और 228 के अर्थातन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा और प्राधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय छब्बीस के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

प्राधिकरण का अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होगा

33. प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थातन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

34. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना ऐसे नियमों में सभी विषयों या निम्नलिखित में से किसी एक के सम्बन्ध में व्यवस्था हो सकती है; अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष और सदस्य के चयन और नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) रीति और तरीका, जिसमें प्राधिकरण के लेखे को अनुरक्षित किये जायेंगे; और

(ग) कोई अन्य विषय, जिसे निहित किये जाने की अपेक्षा हो या विहित किया जा सके।

विनियम बनाने की शक्ति

35. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन दक्ष निष्पादन और उसके कृत्यों के लिए विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के प्रतिकूल न हो।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों की व्यवस्था हो सकती है; अर्थात् :–

(क) अपने कृत्यों के निष्पादन में प्राधिकरण के कार्यकलापों का प्रशासन;

(ख) लाइसेंसधारियों और जल के क्रय, वितरण या सम्भरण में अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को सौंपे जाने वाले कृत्यों का निर्धारण, वह ढंग जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा और जल सम्भरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण के सम्बन्ध में अपनाई और लागू की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) लाइसेन्स स्वीकृत करने की प्रक्रिया और शर्तें, लाइसेन्स के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले विवरण और दस्तावेज, मानक और सामान्य शर्तें जिसके अधीन लाइसेन्स स्वीकृत किया जायेगा, लाइसेन्स की अपेक्षा से छूट की स्वीकृति, लाइसेन्सों का विखण्डन और संशोधन और उनका प्रभाव और उससे सम्बन्धित सभी विषय;

(घ) लाइसेन्सधारियों के कर्तव्य, शक्तियाँ अधिकार और दायित्व;

(ङ) उन व्यक्तियों द्वारा जो जल वितरण और जल संभरण या उसके प्रयोग में अन्तर्ग्रस्त हो, प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण और सूचना, विवरण, दस्तावेज, लेखे और बहियाँ, प्रस्तुत करने की रीति और तरीका;

(च) राजस्व और टैरिफों के निर्धारण की निबन्धन और शर्तें और प्रक्रिया;

(छ) राज्य में जल वितरण या सम्भरण के अन्तर्गत व्यक्तियों के कार्य निष्पादन के मानकों का निर्धारण;

(ज) लाइसेन्सधारी और जल उपभोक्ता द्वारा देय फीस और प्रभार;

(झ) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघंन क लिए अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड और शास्ति की धनराशि जिसमें अर्थदण्ड और शास्तियों के अधिरोपण की रीति और तरीका और उसके संग्रह का ढंग सम्मिलित है;

(ञ) किसी अन्य विषय की, जिसकी विनियमों द्वारा अपेक्षा हो या हो सकती हो, व्यवस्था की जा सकती है।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

36. (1) यदि अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार शासकीय गजट में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो अधिनियम के उपबन्धं से असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों।

परन्तु अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश इस निर्माण के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–36 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन), विधेयक, 2013

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–42 खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2013)

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 11 वर्ष 1973) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियम हो :—

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 1 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 होगा।"

धारा 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में :—

(क) खण्ड (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—

"(घ) "उपविधि" से उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ इसके पश्चात् राज्य प्राधिकरण कहा गया है) अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित उपविधि अभिप्रेत है;"

(ख) खण्ड (घघ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:—

"(घघ) "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" से स्थानीय विकास प्राधिकरण के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।"

(ग) खण्ड (घघ) के पश्चात् एक नया खण्ड (घघघ) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :—

"(घघघ) "नगर विकास अधिभार" से भूमि के विकास के लिए धारा 38—क के अधीन निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;"

(घ) खण्ड (छ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-

"(छ) "विकास प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण" से सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे राज्य प्राधिकरण कहा गया है) और किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे स्थानीय प्राधिकरण कहा गया है) जो कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित एवं अधिसूचित है, अभिप्रेत है:

परन्तु यह कि इस अधिनियम में जहाँ कहीं शब्द 'प्राधिकरण आया है, जब तक कि राज्य प्राधिकरण के रूप में उसे अभिव्यक्त न किया गया हो, वह स्थानीय प्राधिकरण को संदर्भित करेगा :

परन्तु यह और कि यदि इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन जारी अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा विकास क्षेत्र/क्षेत्रों के विस्तार को परिभाषित करते हुए घोषित कर दिया जाता है तो इस अधिनियम के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें भी स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण संदर्भित होंगे। ऐसे नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा"

(ङ) खण्ड (छछछ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-

"(छछछ)'विकास शुल्क' से किसी व्यक्ति या निकाय पर स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, नाली, मल निकासी तंत्र, विद्युत आपूर्ति और जल सम्भरण तंत्र के निर्माण हेतु धारा 15 के अधीन अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;"

(च) खण्ड (छछछ) के पश्चात् दो नये खण्ड क्रमशः (छछछछ) तथा (छछछछछ) अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :-

"(छछछछ)'विकास योजना' से अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित

महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना अभिप्रेत है;"

"(छछछछछ) 'मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक' से राज्य सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का प्रमुख अभिप्रेत है;"

(छ) खण्ड (ज) के पश्चात् दो नये खण्ड (जज) तथा (जजज) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :–

"(जज) 'भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार' से महायोजन अथवा क्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग के परिवर्तन के लिए धारा 38–क के अधीन किसी व्यक्ति अथवा किसी निकाय पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;"

(जजज) 'अनुज्ञा शुल्क' से विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के जुटाव और विकास करने के लिए धारा 39–ख के अधीन लाइसेन्स चाहने वाले किसी निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;"

(ज) खण्ड (झझ) के पश्चात् एक नया खण्ड (झझझ) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा। अर्थात :–

"(झझझ) 'निजी विकासकर्ता' से किसी वैयक्तिक, कम्पनी अथवा ऐसोसियेशन, वैयक्तिक निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, अभिप्रेत है जिसकी विकास के लिए भूमि स्वयं की हो अथवा चाहे क्रय द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से भूमि जोड़ने हेतु सहमत या एकत्र हुए हों और जिसे इस अधिनियम की धारा 39–ख के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई हो;"

(झ) खण्ड (ञ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(ञ) 'विनियम' से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित विनियम अभिप्रेत है;"

(ञ) खण्ड (ट) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(ट) 'नियम' से राज्य सरकार अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम अभिप्रेत है;"

धारा 3 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 3 में एक परन्तुक निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन आच्छादित क्षेत्र से इस धारा के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किये जाने पर उत्तर प्रदेश विशेष विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) के प्राविधान ऐसे क्षेत्र के लिए निरसित हो जायेंगे।"

धारा 4 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 4 में :–

(क) उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं सभी विकास क्षेत्रों के लिए 'उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण' नाम के साथ, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, एक प्राधिकरण और किसी विकास क्षेत्र के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी।"

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् दो नयी उपधाराएं क्रमशः (1–क) तथा (1–ख) अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :–

"(1–क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को उनके विकास क्षेत्र के विस्तार को परिभाषित करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण के रूप में घोषित कर सकेगी। राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकरणों की शक्तियों को भी परिभाषित कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए व्यक्तियों, अधिकारियों को पदाभिहित कर सकेगी। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए इस उपधारा को अधीन ऐसे स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को भी घोषित/पदाभिहित कर सकेगी। इस उपधारा के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण के रूप में घोषित ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विकास के प्रयोजन के लिए कृत्य कर सकेंगे।

"(1–ख) ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों के विद्यमान परिषद् इस अधिनियम के अधीन धारा 4 की उपधारा (1–क) में प्रतिनिधानित शक्तियों की सीमा तक स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण के परिषद् समझे जायेंगे।"

(ग) उपधारा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नवत् एक नयी उपधारा (2–क) अन्तःस्थापित कर दी जायेंगी; अर्थात् :–

"(2–क) (1) उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी; अर्थात्–

(क) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रभारी मंत्री जो अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव–जो उपाध्यक्ष होगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अपर मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के अपर सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो;

(ङ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव–पदेन सदस्य;

(च) राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव–पदेन सदस्य;

(छ) राज्य सरकार के नियोजन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव– पदेन सदस्य;

(ज) राज्य सरकार के वन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव–पदेन सदस्य;

(झ) राज्य सरकार के पर्यटन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव– पदेन सदस्य;

(ञ) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव– पदेन सदस्य;

(ट) राज्य सरकार के नगर और ग्राम नियोजन विभाग का प्रमुख नगर एवं ग्राम नियोजक – पदेन सदस्य;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य प्राधिकरण का वित्त नियंत्रक – पदेन सदस्य;

(ड) ऐसे अन्य गैर सरकारी सदस्य, जो दो से अधिक नहीं होंगे, समय–समय पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।

उपर्युक्त खण्ड (ड) में उल्लिखित गैर सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त कार्य करेंगे :

परन्तु यह कि ऐसा गैर सरकारी सदस्य अपने पद से मुख्य प्रशासक को सम्बोधित स्वलिखित त्याग–पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त समझा जायेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण का कोई कृत्या अथवा कार्यवाही किसी रिक्ति के विद्यमान होने के कारण अथवा किसी त्रुटि के होने के कारण यह नहीं समझा जायेगा कि राज्य प्राधिकरण का गठन विधिमान्य नहीं है।"

(ङ) उपधारा (3) के शब्द "प्राधिकरण" से पूर्व शब्द "स्थानीय विकास" जोड दिये जायेंगे।

(च) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के पश्चात् एक नया खण्ड (खख) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(खख) स्थानीय विकास प्राधिकरण का सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;"

(छ) उपधारा (3) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), तथा (ज) में शब्द 'पदेन से पूर्व शब्द "अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति" जोड दिये जायेंगे।

(ञ) उपधारा (4) में शब्द 'उपाध्यक्ष' के पश्चात् शब्द' स्थानीय विकास प्राधिकरण का जोड़ दिये जायेंगे।

(ञ) उपधारा (5), (6), (7) तथा (8) में शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन 8. (क) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1), (2) तथा (3) को पुर्नसंख्यांकित करते हुए उन्हें क्रमशः उप धारा (4), (5) तथा (6) पढ़ा जायेगा और निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ दी जायेंगी; अर्थात्:–

"(1) धारा 4 की उपधारा (2–क) में उपबन्धित राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक और वित्त नियंत्रक के रूप में तीन सुयोग्य व्यक्तियों को राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का पालन और ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रतिनिधानित किया जाय।

(2) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अथवा अपर मुख्य प्रशासक अन्य अधिरियों और कर्मचारियों को, जैसा व उसके कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेंगे और उनके पद तथा वेतनमान अवधारित कर सकेंगे।

(3) प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी वेतन और भत्तों को राज्य विकास प्राधिकरण की निधि से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गये विनियमों द्वारा अवधारित वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों से आच्छादित होंगे।"

(ख) उपधारा (4), (5) तथा (6) में शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में :–

(1) शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

(2) धारा 7 के पश्चात् निम्नवत् दो नयी धाराएं 7–क तथा 7–ख जोड़ दी जायेंगी; अर्थात् :–

"7–क. राज्य विकास प्राधिकरण के कृत्य –

राज्य विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी–

(एक) राज्य के अन्तर्गत किन्ही क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता का आंकलन कर इस हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन की संस्तुति करना;

(दो) राज्यान्तर्गत अधिसूचित विभिन्न विकास क्षेत्रों के नियोजित विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से अथवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से महायोजना/क्षेत्रीय योजना तैयार करना और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

(तीन) पूर्व निर्मित महायोजनाओं में आवश्यक संशोधन हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देना;

(चार) राज्य के विभिन्न स्थानीय विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना तथा उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करना;

(पॉच) विभिन्न अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना स्वीकृति एवं प्रवर्तन कार्य के सन्दर्भ में स्थानीय विकास प्राधिकरणों, नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य कार्य विभाजन/अधिकारिता निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;

(छः) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा/मानक के अनुसार अधिसूचित/विकास क्षेत्रान्तर्गत बृहद योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना तथा इनके सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों के माध्यम से पर्यवेक्षण/प्रवर्तन कार्य कराना;

(सात) राज्य के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय लाभदायक वृहद अवस्थापना विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की परिकल्पना तैयार करना, ऐसी परियोजनाओं के निमित्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से वित्त पोषण अथवा अन्य निजी क्षेत्रों से निवेश की व्यवस्था करना तथा परियोजना का क्रियान्वयन स्वयं अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कराना;

(आठ) आवासीय परियोजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जन/संकलन करना तथा उसका उपयोग स्व विकसित अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरणों/लोक–निजी सहभागिता आधारित योजनाओं के लिए कराना;

(नौ) राज्य के लिए हितकारी बृहद परियोजनाओं को लोक–निजी सहभागिता सिद्धान्त के आधार पर विकसित करने की संभावनाएं तलाशना, इस हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करना और इस निमित्त समस्त आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करना;

(दस) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के लिए आवासीय एवं अवस्थापना विकास के कार्यों से सम्बन्धित दिशा–निर्देश तैयार कर उनका अनुपालन कराना;

(ग्यारह) कम लागत के आवासों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन नीति तैयार कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;

(बारह) अपने कोष से स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित की जाने वाली निधि की मात्रा निर्धारित करना तथा उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित करना;

(तेरह) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनना;

(चौदह) अन्य ऐसे दायित्वों का निर्वहन करना, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जायं।;

"7-ख. राज्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण-

(1) राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित सभी आदेश राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के नाम से पारित किये जायेंगे।

(2) स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर और ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, स्थानीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा (उपाध्यक्ष) अथवा धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित/नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का क्रियान्वयन करेंगे।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली किन्हीं शक्तियों और निर्वहन किये जाने वाले कृत्यों के क्रम में राज्य प्राधिकरण और किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा दो या दो से अधिक स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय उस विवाद पर अन्तिम होगा।

(4) राज्य प्राधिकरण किसी समय पर स्वविवेक से अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश या किसी निस्तारित मामले के अभिलेख, पारित आदेश अथवा जारी निर्देश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और ऐसे आदेश अथवा निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे:

परन्तु यह कि राज्य प्राधिकरण किसी व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध कोई आदेश उसे सुनवाई व समुचित अवसर दिये बिना पारित नहीं करेगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।"

धारा 8 का संशोधन 8. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-

"(8) नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के परामर्श से राज्य प्राधिकरण के द्वारा यथा निर्देशित विकास क्षेत्र के लिए यथाशीघ्र महायोजना तैयार करेगा।"

धारा 9 का संशोधन 9. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ग) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" जोड़ दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन 10. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-

"(2) प्रत्येक योजना तैयार किये जाने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण उसे राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जो कि अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सरकार या तो योजना को बिना किसी परिवर्द्धन के अथवा ऐसे परिवर्द्धन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी अथवा राज्य प्राधिकरण को दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार नई योजना तैयार करने हेतु निर्देश के साथ योजना को अस्वीकृत कर सकेगी।"

धारा 11 का संशोधन 11. मूल अधिनियम की धारा 11 में :-

(1) उपधारा (1), (2) तथा (4) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" जोड़ दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-

"(3) सभी आपत्तियों, सुझावों और प्रत्यावेदनों, जो नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण द्वारा प्राप्त किये गये हो, पर विचार करने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित अन्य अभिकरण अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगा और उसे अनुमोदन हेतु अपनी संस्तुतियों और टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ राज्य सरकार को अग्रसारित करने हेतु राज्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"

धारा 12 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण और सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण" जोड़ दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

13. (1) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1), (2), (3), (4), (5) तथा (6) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" जोड़ दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (5) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 14 में :–

(1) उपधारा (1) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।?

(2) उपधारा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय

विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

(3) उपधारा (3) के खण्ड (ग) में शब्द "उसके" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" और शब्द "ऐसा विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 15 में :-

(1) उपधारा (1) शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

(3) उपधारा (3) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

(4) उपधारा (3) में आये शब्द "धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट अथवा किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में" एतद्द्वारा निरसित समझे जायेंगे और तीसरे परन्तुक में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय

विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो'' रख दिये जायेंगे।

(5) उपधारा (4), (5), (6), (7), (8) तथा (9) शब्द ''उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द ''प्राधिकरण'' के स्थान पर शब्द ''स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 17 में :-

(1) उपधारा (2) में शब्द ''प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द ''स्थानीय विकास प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो'' रख दिये जायेंगे।

(2) धारा 17 के पश्चात् क्रमशः दो नयी धाराएं 17-क तथा 17-ख अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :-

''17-क. राज्य प्राधिकरण का भू-बैंक :-

राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित के माध्यम से निजी भू-बैंक सृजित करने की शक्ति होगी :-

(क) भूमि अर्जन अधिनियम की अधीन राज्य सरकार; अथवा

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त अवशेष भूमि; अथवा

(ग) विकास प्राधिकरणों के सन्दर्भ में भूमि अर्जन/संकलन नीति; अथवा

(घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से भूमि क्रय करके।

"17–ख. राज्य प्राधिकरण द्वारा भूमि का निस्तारण :–

(1) राज्य प्राधिकरण–

(क) समाज के कमजोर वर्गों को वहन करने योग्य आवास उपलब्ध कराने के लिए अपने भू–बैंक से किसी भूमि को किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण/कम्पनी/अभिकरण/व्यक्ति, निजी अथवा लोक को अन्तरित/निरस्तारित कर सकेगी;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अर्जित और उसे अन्तरित कोई भूमि उस पर कोई विकास किये बिना अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी;

(ग) कोई ऐसी भूमि ऐसे विकास के बाद जैसा वह ठीक समझे, किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसी योजना अनुसार विकास को प्राप्त करने के लिए समीचीन समझा जाय, अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि राज्य प्राधिकरण उपहार के रूप में किसी भूमि का निस्तारण कर सकती है, किन्तु विषय के अध्यधीन इस अधिनियम में सन्दर्भित भूमि का निस्तारण किसी सन्दर्भ में किसी रीति से कोई निस्तारण चाहे वह विक्रय, विनिमय अथवा पट्टे अथवा किसी सुखाचार, अधिकार के सृजन द्वारा अथवा विशेषाधिकार अथव अन्यथा हो, कर सकेगा

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य प्राधिकरण ऐसे भूमि (उसके किसी भवन सहित) को बन्धक अथवा अधिभार के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम; आवास और नगर विकास निगम अथवा कोई बैंकिंग कम्पनी अथवा कोई अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में रख सकेगी।"

धारा 20 का संशोधन

18. मूल अधिनियम की धारा 20 में :–

(1) उपधारा (1), (2), (3), (4), (5) तथा (6) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित दो नयी उपधाराएं (8) तथा (9) जोड़ दिये जायेंगे; अर्थात् :–

"(8) स्थानीय विकास प्राधिकरण अपनी कुल आय का राज्य प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंश राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा।

(9) राज्य प्राधिकरण उपर्युक्त उपधारा (8) के अधीन संग्रहीत निधि में से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटन योग्य धनराशि का निर्धारण करेगा और उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य आवंटित करेगा।"

धारा 20–क का अन्तःस्थापन

19. धारा 20 के पश्चात् एक नयी धारा 20–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

20क राज्य प्राधिकरण की निधिया–

(1) राज्य प्राधिकरण स्थानीय विकास प्राधिकरणें से प्राप्त निधि के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा उसे आवंटित निधि से स्वयं की एक निधि संरक्षित करेगा।

(2) निधि का उपयोग इस अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य प्राधिकरण द्वारा किये गये व्यय अथवा इसके द्वारा सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आवंटित किन्हीं अन्य प्रयोजनों/कृत्यों के लिए किया जायेगा।

(3) राज्य प्राधिकरण को स्थानीय विकास प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली निधि की मात्रा को अवधारित करने और इसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों/नगरीय स्थानीय निकायों को उनकी वित्तीय सुदृढ़ता हेतु आवंटित करने की शक्ति होगी।

(4) राज्य सरकार के किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन राज्य प्राधिकरण ऐसी धनराशियों के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, अपने संभावित चालू अपेक्षाओं की पूर्ति और किसी अधिशेष धनराशि के निवेश के लिए, ऐसी रीति से जैसा वह ठीक समझे, किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाता रखेगा।

(5) राज्य सरकार सम्यक् विनियोग के पश्चात् ऐसे अनुदानों, अग्रिमों और ऋणों को राज्य प्राधिकरण को देगी, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, और सभी अनुदानों, ऋणों को अग्रिमों को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर देगी, जैसा वह अवधारित करे।

(6) राज्य प्राधिकरण ऋण अथवा ऋण पत्रों अथवा ऐसे स्रोतों (राज्य सरकार से इत्तर) से ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसा राज्य सरकार अनुमोदित करे, ऋण ले सकेगी।

(7) राज्य प्राधिकरण उपधारा (5) एवं (6) के अधीन ऋण ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि को संरक्षित करेगी और इस प्रकार ऋण ली गई सभी धनराशियों को नियत अवधि के अन्दर वापसी के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त धनराशि निक्षेप निधि में जमा करेगी।

(8) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग ऋण भुगतान, जिसके लिए ऐसी निधि सृजित की गयी थी, के निमित्त ही व्यय की जायेगी और जब तक कि ऐसे ऋणों का पूर्णतः निक्षेपण नहीं कर लिया जाता है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय नहीं की जायेगी।"

धारा 21 का संशोधन

20. मूल अधिनियम की धारा 21 में शब्द "प्राधिरकण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

धारा 21–क का अन्तःस्थापन

21. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् एक नयी धारा 21–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् –

"21–क. राज्य प्राधिकरण का आय–व्ययक :–

राज्य प्राधिकरण ऐसे तथा ऐसे समय पर प्रत्येक वर्ष जैसा राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में किसी आय–व्ययक के लिए विनिर्दिष्ट करे, आय–व्ययक जिसमें राज्य प्राधिकरण के आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आंकलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण हो, तैयार करेगा।"

धारा 22 का संशोधन

22. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1), (2), (3), (4) तथा (5) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 23 का संशोधन

23. मूल अधिनियम की धारा 23 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

24. मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 27 का संशोधन

25. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1), (2), (3), (4) तथा (5) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

26. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1), (2), (3), (4), (5) तथा (6) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/ अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 28–क का संशोधन

27. मूल अधिनियम की धारा 28–क की उपधारा (1), (2), (3), (4) तथा (5) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

28. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/ अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 37 का संशोधन

29. मूल अधिनियम की धारा 37 में शब्द "धारा 41" के स्थान पर शब्द "धारा 7–ख" रख दिये जायेंगे।

धारा 37–क का अन्तःस्थापन

30. मूल अधिनियम की धारा 37 के पश्चात् एक नयी धारा 37–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"37–क. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा–

(1) किसी सिविल न्यायालय को ऐसे मामले में जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लेकर इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियम अथवा विनियम के अनुसार विस्तारण किया जा सकता है, कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम द्वारा आच्छादित किसी मामले के सम्बन्ध में किसी अनुतोष के लिए राज्य सरकार अथवा किसी राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण के विरूद्ध वाद योजित नहीं किया जा सकेगा।

(3) सभी वाद, अपील, निगरानी, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन और इन वादों से उत्पन्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सं0 5 वर्ष 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन कार्यवाहियों सहित अन्य सभी आकस्मिक अथवा आनुषंगिक कार्यवाहियों को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हो और अन्तरिम आदेशों से उत्पन्न सभी निगरानी जो इस अधिनियम के अधीन आच्छादित किसी मामले से सम्बन्धित हों एवं उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों, सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तारीख से अन्तरित हो जायेंगे तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा रज्य प्राधिकरण मामलों को उसी रीति से निस्तारित करेगा, मानों कि वह इस अधिनियम की धारा 27 और अथवा 28 अथवा धारा 7–ख के अन्तर्गत योजित हुए हों :

परन्तु यह कि स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, इस अधिनियम की क्रमशः धारा 27 और/अथवा धारा 28 अथवा धारा 7–ख के उपबन्धों के अध्यधीन कोई परिवाद अथवा कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो, के साथ जिस स्थिति में वाद उपर्युक्त रूप में अन्तरित किया गया हो, को आगे उस प्रकार चलायेंगे जैसाकि मानों यह उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।"

धारा 38–क का अन्तःस्थापन

31. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् एक नयी धारा 38–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् –

"38–क. भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार और नगरीय विकास अधिभार उद्गृहीत करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति :–

(1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र की धारा 13 के अधीन किसी भू–स्वामी के अनुरोध पर महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किसी विशिष्ट भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित किया जाता है, वहाँ ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, स्थानीय विकास प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार के दौरान नहीं की जायेगी, वरन भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन–पत्र के साथ आवेदन के व्यवहरण शुल्क के रूप में स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित ऐसी धनराशि ली जा सकेगी जो कि आवेदन पत्र के परीक्षण एवं समाचार पत्रों में आपत्ति प्रकाशन की प्रक्रिया पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक हो। सम्यक् विचारोपरान्त आवेदन अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर ही भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली इस अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के अधीन अन्तिम अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा भू–स्वामी से की जायेगी :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी भूमि का भू–उपयोग महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् स्वतः परिवर्तित हो जाता है, वहाँ कोई भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार, ऐसी भूमि के स्वामी से उद्गृहीत नहीं किया जायेगा।

(2) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में किसी निजी विकासकर्ता को भूमि संकलित करने और उसका विकास करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया हो, वहाँ प्राधिकरण को, ऐसी भूमि के निजी विकासकर्ता पर ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, नगर विकास अधिभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा।"

धारा 39—ख का अन्तःस्थापन

32. मूल अधिनियम की धारा 39—क के पश्चात् एक नयी धारा 39—ख अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् —

"39—ख. भू—भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए अनुज्ञा :—

स्थानीय विकास प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए निजी विकासकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि विहित किया जाय, अनुज्ञा दे सकता है।"

धारा 41 का संशोधन

33. मूल अधिनियम की धारा 41 में :—

(1) उपधारा (1) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्—

"(2) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और यहाँ तक कि स्थानीय प्रकरणों अथवा उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई अन्य नियुक्त/पदाभिहित व्यक्ति/अधिकारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा और ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।"

(3) उपधारा (3) एतद्द्वारा निरसित समझी जायेगी।

धारा 48—क का अन्तःस्थापन

34. मूल अधिनियम की धारा 48 के पश्चात् एक नयी धारा 48—क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :—

"48—क. राज्य प्राधिकरण के आदेशों और अभिलेखों का अधिप्रमाणनः—

राज्य प्राधिकरण की सभी अनुज्ञाएं, आदेश, सूचनाएं और अन्य अभिलेख मुख्य प्रशासक अथवा इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

धारा 47–क का अन्तःस्थापन

35. मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् एक नयी धारा 47–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"47–क. राज्य प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे :–

राज्य प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोकसेवक समझे जायेंगे।"

धारा 48 का संशोधन

36. मूल अधिनियम की धारा 48 में शब्द "अधिनियम" के पश्चात् शब्द "कि धारा 26" रख दिये जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन

37. मूल अधिनियम की धारा 51 उपधारा (3) के पश्चात् एक नयी उपधारा (4) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(4) राज्य प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति को साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन यदि कोई हो, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, अपर मुख्य प्रशासक द्वारा भी प्रयोग में लाये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

धारा 55 का संशोधन

38. मूल अधिनियम की धारा 55 में :–

(1) उपधारा (1) में शब्द "राज्य सरकार" के पश्चात् शब्द "या राज्य प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (3) एतद्द्वारा निरसित समझी जायेगी।

धारा 56 का संशोधन

39. मूल अधिनियम की धारा 56 में :–

(1) उपधारा (1) तथा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् एक नया खण्ड (खख) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

(खख) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक और वित्त नियंत्रक की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात् एक नया खण्ड (गग) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

(गग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;"

(4) उपधारा (2) के खण्ड (घ) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 57 का संशोधन

40. मूल अधिनियम की धारा 57 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 58 का संशोधन

41. मूल अधिनियम की धारा 58 में उपधारा (1) तथा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 59 का संशोधन

42. मूल अधिनियम की धारा 59 में :–

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात् एक नया खण्ड (कक) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(कक) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (अधिनियम सं० 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) विकास क्षेत्र की उद्घोषणा की तारीख से निरसित हो जायेगा और उस तारीख से उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ०प्र० अधिनियम सं० 9 वर्ष 1986) के अन्तर्गत गठित उस क्षेत्र का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भंग हो जायेगा।"

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "निलम्बित" के पश्चात् शब्द "और निरसित" रख दिये जायेंगे।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में शब्द "खण्ड (क)" के पश्चात् शब्द "और खण्ड (कक)" रख दिये जायेंगे।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम, 1959" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986" रख दिये जायेंगे।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्:–

"(घ) इस अधिनियम की अधीन गठित सभी विकास प्राधिकरण विद्यमान रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा गठित स्थानीय विकास प्राधिकरण समझे जायेंगे तथा उनके द्वारा ऐसे पदास्थिति में निर्वहन किये गये कोई कृत्य अथवा कर्तव्य इस अधिनियम के अधीन किये गये कृत्य और कर्तव्य समझे जायेंगे।"

(6) उपधारा (3) में शब्द "उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण विनियमन) अधिनियम, 1958" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986" रख दिये जायेंगे।

(7) उपधारा (3) के परन्तुक में शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 में विहित कृत्यों के सम्बन्ध में" रख दिये जायेंगे।

(8) उपधारा (4) में शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

(9) उपधारा (6) के खण्ड (च) में शब्द "उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण विनियमन) अधिनियम, 1958" के पश्चात् शब्द "और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन समस्त अपील" रख दिये जायेंगे।

(10) उपधारा (6) के खण्ड (च) के स्पष्टीकरण में शब्द "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" के पश्चात् शब्द

"उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के उपबन्धों" और शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" तथा शब्द "विनिर्दिष्ट" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन उपबन्धों" रख दिये जायेंगे।

(11) उपधारा (8) में शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" तथा शब्द "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986" रख दिये जायेंगे।

(12) उपधारा (9) में शब्द "ट्रस्ट" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा शब्द "अथवा ट्रस्ट" के पश्चात् शब्द "या राज्य सरकार" रख दिये जायेंगे।

(13) उपधारा (13) में शब्द "विशेष आवास परिषद् योजना" के पश्चात् शब्द "और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन सभी कृत्यों" रख दिये जायेंगे।

(14) उपधारा (14) के पश्चात् एक नयी उपधारा (15) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(15) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किये गये कोई कृत्य/कृत्यों अथवा कार्यवाहियों/कर्तव्य, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अविधिमान्य नहीं होंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सम्पादित सभी कृत्य और कर्तव्य, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्पादित किये गये कृत्य समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–42 खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–7 खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2005) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

<u>विधेयक</u>

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में :–

(एक) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"ख "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा की संस्था से है;"

(दो) खण्ड (ण) को निरसित कर दिया गया समझा जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की होगी।"

धारा 6 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 6 में :–

(एक) खण्ड (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(क) तकनीकी शिक्षा में शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान कर और उनका उन्नयन तथा उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति के लिए उद्यमिता और सहायक वातावरण का निर्माण करना;"

(दो) खण्ड (ज) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ज) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और समुदायों में तकनीकी शिक्षा की उन्नति के लिए प्राविधान करना;"

धारा 23 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(1) राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्रियाकलापों के प्रभावी समन्वय हेतु, इस विश्वविद्यालय के विशेषतः अध्यापन, अनुसन्धान, शिक्षा के विस्तार एवं अन्य समान कार्यों के सम्बन्ध में और विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं वित्तीय क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु राज्य सरकार शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु एक परिषद् का गठन करेगी, जो "तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य समन्वय परिषद्" कहलायेगी।"

धारा 30 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित विभिन्न नियामक परिषदों के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन युक्तियुक्त समय में करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट का संशोधन या निरसन कर सकेगी।"

व्यावृत्ति

7. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–7 खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

<u>विधेयक</u>

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियम हो :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 29 का संशोधन 2. (1) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-

"(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहिर्गामी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होते ही बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य कार्यभार ग्रहण कर लें, बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व बोर्ड के निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा।" ?

(2) उपधारा (3) के पश्चात् एक नई उपधारा (3-क) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-

"(3-क) प्रत्येक सहकारी समिति के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तरदायी होगा, जिसका अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा विहित किया जाय, नामित किया जायेगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यशपाल आर्य-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के राजकीय महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं द्वारा अंग्रेजी प्रवक्ताओं के रिक्त पद तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पद भरने की मांग के सम्बन्ध में विगत तीन दिन से चल रहे आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री तीरथ सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

राजकीय महाविद्यालय नागनाथपोखरी में प्रवक्ता अंग्रेजी तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग को लेकर किया जा रहा है आमरण अनशन दिनांक 15–03–2013 को छात्र–छात्राओं द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा के लिखित आश्वासन के उपरान्त समाप्त कर दिया गया है।

राजकीय महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय नागनाथपोखरी में अंग्रेजी विषय अन्य महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत पढ़ाया जा रहा है। आगामी शैक्षिक सत्र 2013–14 में नियमित प्रवक्ता तथा शिक्षणेत्तर पदों पर कार्मिकों की तैनाती के यथासम्भव प्रयास किये जायेंगे।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत संचालित हो रहे कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा या व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका छात्रावासों की स्थापना की जाती है। इस योजना में पंजीकृत छात्राएं अध्ययन हेतु निकटवर्ती उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल/इण्टमीडिएट कालेजों में शिक्षा ग्रहण करती हैं। यह योजना कक्षा–1 से 12 तक लागू है।

2. इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने के उपरान्त राज्य की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण किये जाने के लिए 70 राजकीय महाविद्यालय, 42 राजकीय पालिटेक्निक संस्थान, 07 इंजीनियरिंग कालेज एवं 110 आई0टी0आई0 संस्थान स्थापित हैं। प्रदेश के उपरोक्त समस्त संस्थानों में प्रदेश की बालिकाओं के लिए प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इन संस्थानों में से 01 राजकीय महाविद्यालय, 01 इंजीनियरिंग कालेज, 02 पालिटेक्निक संस्थान एवं 04 आई0टी0आई0 संस्थान विशेष रूप से बालिकाओं के लिए ही संचालित हैं। कक्षा–8 एवं कक्षा–10 उत्तीर्ण करने के उपरान्त बालिकाएं प्रदेश की आई0टी0आई0 एवं पालिटेक्निक संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करती हैं। इण्टरमीडिएट के उपरान्त इंजीनियरिंग की डिग्री एवं अन्य व्यवसायिक डिग्रियां प्राप्त किये जाने के अवसर उपलब्ध रहते हैं। नियमानुसार अनुसूचि जाति एवं जनजाति की छात्र–छात्राओं के प्रशिक्षण शुल्क का समायोजन भी समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य विधाता।।

पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा

द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत–भाग्य विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(राष्ट्रगान के उपरान्त सदन का उपवेशन 4 बजकर 35 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून:

दिनांक 21–03–2013

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 11 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री गणेश जोशी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 के सम्बन्ध में अनुपूरक सामग्री

- वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 73 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 06 राजकीय, 08 अनुदानविहीत, 01 केन्द्रीय महाविद्यालय एवं 01 बेसिक के अन्तर्गत संस्कृत महाविद्यालय सहित कुल 89 संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय संचालित है।
- शासनदेश संख्या–25 XXXVI(3)/2010/85(1)/2009 दिनांक 07–01–2010 के द्वारा संस्कृत शिक्षा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
- राज्य के 73 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में 73 प्रधानाचार्य के पद सृजित हैं। सृजित पदों के सापेक्ष 42 पद भरे हैं जबकि 31 पद रिक्त हैं।
- संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रवक्ता के 72 पद सृजित हैं। सृजित पदों के सापेक्ष 36 पद भरे हैं जबकि 36 पद रिक्त हैं।
- संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में सहा0 प्रवक्ता/अध्यापक के 280 पद सृजित हैं। सृजित पदों के सापेक्ष 148 पद भरे हैं जबकि 132 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार गतिमान है।
- प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मात्र 06 राजकीय संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय संचालित है, जिनमें सहा0 अध्यापकों के 84 पद सृजित हैं। सृजित पदों के सापेक्ष विद्यालयी शिक्षा के 16 अध्यापक कार्यरत हैं।

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 32 पर)

Governement of India

Ministry of Tourisn

(Rural Tourism Division)

C-I Hutments,
Dalhousle Road,
New Delhi-110011,

File No.- 6-A&RT(10)/08-pt. Date: 09.12.2010

Subject : Revised Guideline for Rural Tourism-

Please find endosed herewith the Scheme Guidelines for Rural Tourism, revised as 09.12.2011,

These Guidelines Supersede all earlier Guidelines issued on the subject and may be strictly adhered to by all concerned. These revised guidelines may be circulated to the concered stakeholders in your jurisdiction.

This issues with the approval of the competent authority.

(P. K. Chaudhary)

Asstt. DG(RT)

To:

1. The Secretaries of Tourism, all State Government/Union Territory Administration.
2. Regional Directors/Directors/Managers of all Indiatourism Offices in Inida and Overseas.

Copy for information to:

PS/PA to AS(T)/ADG(AKG).

(Revised as on 09.12.11)

MINISTRY OF TOURISM
GOVERNMENT OF INDIA
RURAL TOURISM SCHEME FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME GUIDELINES

Tourism growth potential can be harnessed as a strategy for Rural Development. The development of a strong platform around the concept of Rural Tourism in definitely useful for a county like India, where almost 74% of the population resides in its 7 million Villages. Across the world the trends of industrialization and development have had an urban centric approach. Alongside, the stresses of Urban lifestyles have led to a "counter- urbanization" syndrome. This has led to growing interest in the rural areas.

At the same time this trend of urbanization has led to falling income levels, lesser job opportunities in the total areas leading to on urbanization syndrome in the rural areas. Rural Tourism in one of the few activities which can provide a solution to these problems. Besides, there are other factors which are shifting the trend towards rural tourism like increasing levels of awareness, growing interest in heritage and culture developed countries, the is has resulted in a new style of tourism of visiting Village setting to experience and live a relaxed and healthy lifestyle. This concept has taken the shape of a formal kind of Rural Tourism.

Under this Scheme, thrust will be to promote village tourism as the primary tourism product to spread tourism and its socio-economic benefits to rural and its new geographic regions. Key geographic regions would be identified for development and promotion of Rural Tourism. The implementation would be done through a Convergence Committee headed by the District Collector. Activities like improving the environment, hygiene, infrastructure etc. Would be eligible for assistance. Apart from providing financial assistance the focus would be to tap the resources available under different schemes of Deptt. Of Rural Development, State Govts. and other concerned Departments of the Govt. of India.

1- Definition of Rural Tourism : Any form of tourism that showcases the rural life, art, culture and heritage at rural locations, thereby benefiting the local community economically and socially as well as enabling interaction between the tourists and the locals for a more enriching tourism experience can be termed as rural tourism. Rural Tourism is essentially an activity which takes place in the countryside. It is multi-faceted and may entail farm/agricultural tourism, cultural tourism, nature tourism, adventure tourism, and eco-tourism. As against conventional oriented, the locations are sparsely populated, it is predominantly in natural environment gt meshes with seasonality and local events and is based on preservation of culture, heritage and traditions.

2. **Identification of Villages :** Each State/UT Govt. would be requested to furnish one proposal for promotion of Rural tourism. Based on the merits and after a joint inspection by the Deptt. Of Tourism and the State/UT Govt. if required ten proposals would be indetified for implementation in the country.

3. **Preparation of detailed plan for implementation of the project :** After short listing the proposals, the State/UT Govt. Would be requested to draw up a detailed plan of action. The thrust here would be to achieve convergence between the different schemes of the Govt. of India and the State Govts. it should be ensured that at least 50% of the project should be implemented through achieving convergence of different schemes. Assistance up to Rs. 3.00 lakhs would be provided to the State Govt. for engaging on expert for preparing the project report.

4. **Assistance under the Scheme :** A maximum of Rs. 50 lakhs would be sanctioned under this scheme. The activities listed under the para-5 could be taken up.

5. **Permission activities :** The following works may be taken up under the Scheme-

(i) Improvement of the curroundings of the village. This would include activities like landscaping, development of parks, fencing, compound wall etc.

(ii) Improvements ot roads within the Panchayat limits. The shall not include may major road which connects the village.

(iii) Illumination in the village.

(iv) Providing for improvement in solid waste management and sewerage management.

(v) Construction of Wayside amenties.

(vi) Procurement of equipments directly related to tourism, like Water Sports, Adventure Sports, Eco-friendly modes of transport for moving within the tourism zone.

(vii) Refurbishment of the Monuments.

(viii) Signages

(ix) Reception

(x) Other work/activities directly related to tourism

(xi) Tourist Accommodation

6. Focal Point for implementation of the projects : State tourism Development Corporations are entrusted with responsibility of Focal Point of formulating and implementing Rural Tourism Porjects in consultation with District Collectors/Deputy Commissioners to ensure convergence from other yojnas, schemes and allocations for broader/integrated development at the site to benefit local communities.

7. Constitution of a Convergence Committee : A Convergence Committee would be set up under the chairmanship of Managing Director, State Tourim Development Corporation/Commissioner of Tourism to oversee the implementation of the project.

8. Execution of the works : The execution of the work would be entrusted to any Central Govt. agency and the funds would be released directly to the implementing agency by the Govt. of India as recommended by the State Govt.

9. Installments of release : On sanction of a work the first installment of 80% of the sanctioned amount of CFA will be released. The final installment of 20% would be released on submission of the UC for the first installment.

10. Following codal formalities : The executing agency shall follow all codal formalities while awarding contracts and procurement of equipments and ensure com plete transparency in its transactions.

11. Management of assets created : The infrastructure and assets created will be maintained and managed by the Stata/UT Government of their agencies with no financial commitment to Govt. of India except those assets created in the protected areas of ASI.

12. Prescription of the Schedule of Rates : While executing the works the executing agency shall follow the Schedule of rates prescribed by the CPWD or the State PWD.

13. Submission of the Utilisation Certificates : The State Govt. shall furnish the UC for the final installment of 20% the Completion Certificate and the Management Agreement of Assets within a period of six months after release of final installment.

REVISED GUIDELINES OF SCHEME FOR PRODUCT/INFRASTRCUTURE DEVELOPMENT FOR DESTINATIONS AND CIRCUITS

1. In the 9th Plan assistance was provided in the following fields :-
   1. Construction of budget accommodation.
   2. Tourist complexes.

3. Wayside amenities.
4. Tourist Reception Centre.
5. Refurbishment of monuments.
6. Special tourism projects.
7. Adventure and sports facilities.
8. Sound and Light shows and illumination of monuments.

These Schemes were merged into following two schem es during the 10th five year plan.

1. Integrated Development of Tourist Circuits
2. Product/Infrastructure and Destination Development.

2. In order to carefully regulate the Product Development the above two schemes are now merged into one scheme **"Product/Infrastructure Development for Destinations and Circuits"** This scheme will have the following two components;

(A) Major destinations and circuits development

(B) Rural Tourism infrastructure development

A. Major destinations and circuits development

3. The focus under this revised scheme will be on the improvement of existing product and developing new tourism products to the world standard. It will also focus on Integrated Infrastructure Development of the tourist sites. These tourist sites/destinations would be carefully selected based on its tourism potential. The aim would be to provide all infrastructure facilities required by the tourists within such destinations and circuits. Master Plannigg of these destinations and circuits will be undertaken so as to develop them in a integrated holistic manner. The aim will be convergence of resources and expertise through coordinated action with State Governments/U. Ts and Private Sectors. Tourist Destinations and Circuits in each State would be indentifies in consultation with the State Goverment and would be taken up for development. The would include activities ranging from preparation of a master plan to implementaion of the master plan. Projects to be taken up under this schem should follow an integrated, projectised, area development approach. Comprehensive DPRs should be prepared for each project after consultations with all the stakeholders.

4. **Definition of a destination :** Destination is a place of tourist interest. For being eligible under this scheme the destination must be among the most visited sites in the State, or a recognized Heritage mounment. A group of tourist attracions located in the same Village, town or City would also qualify.

5. Definition of a Circuit : A tourist Circuit is defined as a route on which at least there major tourist destinations are located such that none of these are in the same town, village or city. At the same time they are not separated by a long distance. It should have well defined entry and exit points. A tourist who enters at the entry point should get motivated to visit all the places identified on the circuit. The objective of having a tourist circuit is to increase the total number of visits to all the destinations on the Circuit one hand and to provide to the tourist the attraction of all the destinations located on the circuit.

6. Identification of tourist destinations and Circuits : The destinations & circuits will be selected on the basis of its tourism potential in consultation with the State Government. The Destinations/Circuits to be taken up for development will be identified by the Ministry of Tourism at the beginning of each year. A tourist circuit could be limited to a State or it could be a regional circuit covering more than a State/UT. The identification of the project, the implementing agency, and the mode of channelisation of funds would be done in consultation with the State Govt./ UT Administration.

7. Funding pattern of the project : The Ministry of Tourism would bear 100% of the project cost based on the project plan and estimates submitted, excluding the items which are the exclusive responsibility of the State Government, as mentioned at para 8 below. While there may be no ceiling on project cost, Government of India contribution would be capped at Rs. 25 crore for destination development and Rs. 50 crore for circuit development for identified major destinations and circuits based on tourist traffic. However, the existing ceiling of Rs. 5 crore and Rs. 8 crore for destinations and circuit respectively would continue for other projects. In respect of each large project involving central financial assistance of Rs. 25 crore and above, the Ministry should formalise MOUs with State Government and other stakeholder indicating the works to be undertaken by then in physical and financial terms. Total project should include contribution from State Government and contribution from other stakeholders. State Government contribution towards land, rehabilitation package, O&M and external infrastructure like water supply, electricity and roads, as envisaged in para-8 below, should be quantified in the DPR. The provisions for preparation of comprehensive DPRs for destinations/Circuit Project will be as follows:

(a) Large Destinations/Circuit Project involving central financial assistance of Rs. 25 crore and above will be assisted towards the cost of DPR preparation amounting to 50% of the Total cost of DPR preparation or Rs. 15 lakh, whichever is lower.

(b) As far as the assistance towards preparation of DPR for smaller projects of destimation/circuits are concerned, the assistance will be limited to 50% of the total cost of DPR preparation or Rs. 10 lakh, whichever is lower.

8. **Activities/items under State/UT component :** The State/UT Government wil be fully responsible for the following components of the project;

(i) Making the land available for development.

(ii) Inplementation of rehabilitation package, where shifting of dwellings or commercial units is required. However, the Government of India would provide assistance for construction of Tourist Reception Centres including shopping complexs to house the displaced shops.

(iii) Operation, maintenance and management of the assets created.

(iv) External infrastructure like Water Supply, Electricity and Roads (not covered) under para 9 (iv) below.

9. **Activities/items under Central component :** The assistance under this scheme will be focussed on development of public goods instead of private goods. There should also be convergence with other programmes of Government and duplication shall be avoided. The following works may be taken up under the Scheme under the Central component-

(i) Improvement of the surrounding of the destination. The would include activities like landscaping, development of parks, fencing, compound wall etc.

(ii) Illumination of the Tourist destination and the area around and SEL shows etc.

(iii) Providing for improvement in solid waste management and sewerage management Public Conveniences, etc.

(iv) Improvement of road connectivity leading to the tourist sites, especially from the National Highways/State highways and other entry points.

(v) Construction of Wayside Public Conveniences.

(vi) Construction of Budget Accommodation, Restaurant & Wayside Amenities including one time assistance for its air-conditioning and furnishings. This component will be supported only in selected places of Jammu & Kashmir and all North Eastern States, and Eco-tourism project where private sector investment is not forthcoming or not possible.

(vii) Procurement of equipment directly related to tourism, like Water Sports, Adventure Sports, Eco-friendly modes of transport for moving within the Tourism Zone and equipment for cleaning of the tourist destination will be eligible for 25% grant.

(viii) Construction of public building which are required to be demolished because of implementation of the Master Plan.

(ix) Refurbishment of the Monuments.

(x) Signages na disply boards showing Tourist Area Maps and documentation on places of interest at the location.

(xi) Tourist Arrival Centres, Reception Centres, Interpretation Centres.

(xii) Improvement of municipal services directly related to Tourism.

(xiii) Other work/activities directly related to tourism.

10. Release of Funds : The funds would be released to the implementing agency as indicated in Para 6 above in three instalament for identified destination and circuit amounting to Rs. 25 crore and Rs. 50 crore respectively, once the detailed cost estimates of the projects are received. On sanction of the Assistance (CFA) will be released to the implementing agency. The second instalment of 30% will be released after receipt of 50% utilisation certificate of the previous instalment. The balance 20% would be released on the completion of the work and on receipt of the Utilisation Certificate. However, CFA in two instalments would be released for other destination and circuit sanctioned for Rs. 5 crore and Rs. 8 crore respectively. The first instalment in this case will be 80% of the approved CFA on sanction of the project and second instalment will be balance 20% of the approved CFA on the completion of the work and on receipt of the Utilisation Certificate.

11. Codal formalities : The Implementing agency shall follow all codal formalities while awarding contracts and procurement of equipment and ensure complete transparency in its transactions. There would not be any compulsion to execute projects through CPWD. The execution of projects would primarily be the responsibility of State Government and local agencies. However, whenever a project is to be drivea by the Central Government, central agencies could be engaged both for project preparation and for implementation with consent of State/U.P. Govt. concerned.

12. Management of assets created : The infrastructure and assets created will be maintained nad managed by the State/UT Government or their agencies with no financial commitment to Govt. of India. The sustainable maintenance plan for the assets to be created must be built into the project proposal for this purpose.

13. Monitoring Committee : State level Monitoring Committees would be set up under the Chairmanship of the respective Secretary (Tourism) of the State/UT Government. This Committee would consist of a nominee of the Ministry of Tourisn, Govt. of India and a nominee of the implementing agency. This committee will monitor the physical and financial progress of the sanctioned projects and submit the reports to the Ministry on regular basis. The Committee will be responnible for completion of projects within the stipulated period.

B. Rural Tourism Infrastructure Developmemt-

14. Tourism growth potential can be hernessed as a strategy for Rutal Development. The Development of strong platform around the concept of Rural tourism is definitely useful for a country like India. where almost 74% of the population resides in its 7 million village. Across the world the trends of industrialization and development have had an urban centric approach Alongside, the stresses of urban lifestyles have led to a "counter-urbanization" syndrome. This has led to growing interest in the rural areas. At the same time this trend of urbanization has led to falling income levels, lesser job opportunities in the rural areas leading to desertion of villages. Rural Tourism is one of the few activities which can provide a solution to these problems. Besides, there are other factors which are shifting the trend towards rural tourism like increasing levels of awareness, growing interest in heritage and culture and improved accessibility, and environmental consciousness. In the developed countries, this has rusulted in a new style of tourism of visiting village setting to experience and live a relaxed and healthy lifestyle. This concept has taken the shape of a Rural Tourism product.

Under this Scheme, thrust will be to promote village tourism as the primary tourism product to spread tourism and its socio-economic benefits to rural and new geographic regions. Key grographic regions would be identified for development and promotion of Rural Turism. The implementation would be done through a convergence Committee headed by the District Collector, Activities like improving the environment, hygiene, infrastructure etc. Would be eligible for assistance. Apart from providing financial assistance the focus would be to tap the resources available under different schemes of Ministry of Rural Development. State Govts. and other Ministries/Department of the Govt. of India.

15. Definition of Rural Tourism : Any form of tourism that shoucases the rural life, art, culture and heritage at rural locations, thereby benefiting the local community economically and socially as well as enabling interaction between the tourists and the locals for a more enriching tourism experience con be termed as rural tourism. Rural tourism is essentially an activity which takes place in the countryside. It is multi-faceted and may entail farm/agricultural tourism, cultural tourism, nature tourism, adventure tourism, and ecotourism. As against conventional tourism, rural tourism has certain typical characteristice like: it is experience oriented, the locations are sparsely populated, it is predominantly in natural environment, it meshes with seasonality and local events and is bases on preservation of culture, heritage and traditions.

16. Identification of villages: Each State/UT Govt. would be requested to furnish proposals for promotion of rural-tourism. Based on the merits, the proposals would be identified for implementation in the country.

17. Preparation of detailed plan of implementation of the project : After short listing the proposals, the State/UT Govts would be requested to draw up a detailed plan of action. The thrust here would be to achieve convergence between the different schemes of the Govt. of India and this State Govts. It should be ensured that at least 50% of the project should be implemented through achieving convergence of different schemes, Assistance upto Rs. 3.00 lakh would be provided to the State Govt. for engaging an expert for preparing the project report.

18. Assistance under the Scheme : A maximum of Rs. 50 lakh would be sanctioned under this scheme. The activities listed under the para 19 could be taken up.

19. Permissible activities : The following works may be taken up under the Scheme:

(i) Improvement of the surrounding of the village. This would include activities like landscaping, development of parks, fencing compound wall etc.

(ii) Improvement to roads within the Panchayat limits. This shall not include any major road which connects the village.

(iii) Illumination in the village.

(iv) Providing for improvement in solid waste management and sewerage management

(v) Construction of Wayside Amenities.

(vi) Procurement of equipments directly related to tourism, like Water Sports, Adventure Sports, Eco-friendly modes of transport for moving within the tourism zone.

(vii) Refurbishment of the Monuments.

(viii) Signages.

(ix) Reception Centres.

(x) Other work/activities directly related to tourism.

(xi) Tourist Accommodation.

20. Constitution of a Convergence Committee : A convergence Committee would be set up under the District Collector with all stakeholders as members, to oversee the implementation of the project. Since., there is a need for flexibility and innovation while implementing such projects, therefore, this Committee will also decide to change sanctioned items based on new perceptions emerging during implementation within overall project plan and cost already sanctioned keeping the Ministry to Tourism informed for record.

21. Execution of the works : The execution of the work would be entrusted to any Central Govt./State Govt. agency and the funds would be released directly to the implementing agency by the Govt. of India as recommended by the State Govt.

22. Installments fo release : On sanction of a work the first instalment of 80% of the sanctioned amount of CFA will be released. The second instalment of 20% would be released on submission of the UC and completion certificate.

23. Codal formalities : The implementint agency shall follow all codal formalities while awarding contracts and procurement of equipments and ensure complete transparency in its transactions. While executing the works the implementing agency shall follow the Schedule of rates prescribed by the CPWD or the State PWD or Zila Parishad/Panchayat or DRDA or Rural Engineering Department. However =, if there is any item of work to be undertaken does not have rates prescribed by any one of the above mentioned agencies then the District Collector could certify the reasonablencess of the rates.

24. Management of assets created : The infrastructure and assets created will be mainatained and managed by the State/UT Government of their agencies with no financial commitment to Govt. of India. The sustainable maintenance plan for the assets to be created must be built into the project proposal for this purpose.

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,

प्रमुख सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्

देहरादून।

पर्यटन अनुभाग– देहरादून : दिनांक 25 अप्रैल, 2006

विषय – राज्य सेक्टर योजनाओं के गठन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तरांचल में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य शासन द्वारा घोषित पर्यटन नीति–2001 में उल्लिखित कार्ययोजना के आधार पर पर्यटक स्थलों के सुरूचिपूर्ण, सुनियोजित, समेकित तथा समयबद्ध रूप से विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित दिशा–निर्देश लागू करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :

1. जनपद स्तरीय जिला पर्यटन सलाहकार समिति तथा उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद स्तर पर योजनाओं का चयन करते समय प्रथम वरीयता उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय पर तैयार कराये गये विभिन्न मास्टर प्लानों की चिन्हित परियोजनाओं को दिया जाएगा।

2. पर्यटन विकास से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा जहाँ पर प्रदेश से बाहर के पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। ऐसे स्थलों के चयन में पर्यटन महत्व तथा पर्यटन गमनागमन को आधार मानकर प्राथमिकता निर्धारित की जा सकेगी।

3. ऐसे वर्तमान में अल्प ज्ञात पर्यटक स्थल जो कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हों तथा जहाँ पर पर्यटन आकर्षण विद्यमान हो, के विकास के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

4. धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए स्थलों के चयन हेतु ए0एस0आई0 व पुरातत्व विभाग में जो धार्मिक स्थल की सूची है उनमें से राष्ट्रीय अथवा प्रदेश स्तरीय ख्याति प्राप्त पर्यटन महत्व को धार्मिक स्थलों को ही चिन्हित किया जाए। ऐसे धार्मिक स्थल जो ए0एस0आई0 सूची में नहीं हैं परन्तु प्रविख्यात हैं व अन्तर्जनपदीय/अन्तर्प्रदेशों में आवागमन है, उनको भी पर्यटन महत्व की दृष्टि से देखते हुए चिन्हित किया जा सकता है लेकिन उक्त चयन करते समय यह स्पष्ट होना हेगा कि ऐसे स्थलों पर बाहरी राज्यों/जनपदों के पर्यटक आवागमन काफी संख्या में है तथा इसके पुष्ट आंकड़ उपलब्ध हैं।

5. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सर्किट/गन्तव्यों पर जहाँ पर कोई हैरिटेज प्रोपर्टी अथवा हैरिटेज क्षेत्र है, के पर्यटन विकास की योजना भी प्रस्तावित की जा सकती है।

6. राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट यथा पार्कों का विकास (टूरिस्ट डेस्टीनेशन अथवा टूरिस्ट सर्किट पर स्थापित हो) बस पार्किंग, भूमि विकास बैंक, स्नान घाट, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पर्यटन आवास गृहों का निर्माण एवं रख–रखाव, साहसिक खेल एवं कैम्पिंग उपकरणों का क्रय, रज्जू मार्गों का निर्माण एवं रख–रखाव, पर्यटन से सम्बन्धित अन्य गतिविधियाँ आदि ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त थीम पार्क, मनोरंजन पार्क, रोप–वे, वोटिंग आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन हेतु पी0पी0पी0 मॉडल को भी अधिकाधिक प्रयोग में लाया जाये।

7. साहसिक खेल से सम्बन्धित उपकरण वर्तमान आधारभूत सुविधाओं का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण, विभागीय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का भी प्राविधान रख जाय।

8. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित पर्यटन विकास योजनाओं पर भी उपर्युक्त दिशा–निर्देश लागू होंगे, किन्तु ऐसी योजनाओं के लिए स्थल/क्षेत्र का चयन समाज कल्याण विभाग द्वारा चिन्हित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्रों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

9. जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता हो, उनके लिए प्रथम किस्त के रूप में 1000/– टोकन मनी की ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत करवाई जाए ताकि भूमि हस्तान्तरण के समय योजना की स्वीकृति में बाधा उत्पन्न न हो एवं जब औपचारिक रूप से भूमि हस्तान्तरण पर्यटन विभाग के पक्ष में हो जायेगा तब भुगतान अन्य योजनाओं की भाँति इन योजनाओं में भी किया जायेग।

10. जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता होगी, उनकी भूमि हस्तान्तरण/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माण इकाई की होगी।

11. आगामी वर्ष के प्रस्ताव हेतु प्रत्येक चालू वर्ष के माह अक्टूबर/दिसम्बर तक प्राप्त प्रस्तावों पर ही विचार किया जायेगा।

12. बड़ी परियोजनाओं के लिए (वन विभाग की भूमि आपत्ति वाली योजनाओं को छोड़ते हुए) धनराशि तीन किस्तों में भुगतान की जायेगी। 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत।

13. प्रायः देखा गया कि योजना स्वीकृति के उपरान्त उस योजना पर प्रगति समयबद्ध रूप में नहीं हो पाती है। अतः यह लक्ष्य रखा गया कि जो योजनायें 2004–2006 तक स्वीकृत हैं उन्हें मार्च, 2007 से आगे नहीं ले जाया जायेगा। उसके बाद धनराशि दी जानी सम्भव नहीं होगी। इसके बाद सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निर्माण इकाई का होगा। वर्ष 2004–2005 तक ही चालू योजनाओं के लिए धनराशि वर्ष, 2006–2007 तक ही दी जायेगी।

आंगणन की Vetting हेतु मुख्य परियोजना अभियन्ता के सुझाव भी सम्मिलित किये जायें, जिनका उल्लेख आंगणन में किया जायेगा।

प्रत्येक कार्य पर समय–समय पर हुई प्रगति के कम से कम तीन स्तरों पर (कार्यक्रम प्रारम्भ ने, 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने तथा कार्य पूर्ण होने पर) फोटोग्राफ्टस उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

राज्य सेक्टर योजनाओं का चयन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया

शासन विभिन्न स्तरों से प्रस्ताव प्राप्त किये जा सकते हैं। परिषद् स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का क्षण व संस्तुति निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जाएगी।

रुपये 10.00 लाख से 1.00 करोड़ तक के प्रस्तावों को निम्नलिखित समिति द्वारा परीक्षण व संस्तुति किया जायेगा :–

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्	अध्यक्ष
निदेशक, (अवस्थापना, निवेश व नियोजन) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्	सदस्य
अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
वित्त नियंत्रक, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्	सदस्य
संयुक्त निदेशक, पर्यटन (योजना) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्	सदस्य/सचिव

आवश्यकतानुसार समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी को भी बुलाया जा सकता है।

रुपये 1.00 करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों के सम्बन्ध में निम्नलिखित समिति द्वारा योजनाओं का परीक्षण व संस्तुति किया जायेगा :-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्	अध्यक्ष
मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्।	सदस्य/सचिव

आवश्यकतानुसार समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी विशेष विशेषज्ञ को भी बुलाया जा सकता है।

1. रु 10.00 लाख से रु0 1.00 करोड़ तक की योजनायें धन स्वीकृति के पश्चात् सामान्यतः वर्ष से 1½ वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण कराने का लक्ष्य होगा।
2. रु 1.00 करोड़ से रु0 5.00 करोड़ तक की योजनायें धन स्वीकृति के पश्चात् 2 वर्ष पूर्ण कराने का लक्ष्य होगा।
3. रु0 5.00 करोड़ से अधिक तक की योजनाओं धन स्वीकृति के पश्चात् 3 वर्ष में पूर्ण कराई जानी होंगी।
4. योजनाओं की प्रगति व जटिलताओं के देखते हुए समिति समय सीमा निर्धारित करेगी।
5. संस्तुत योजनाओं पर अन्तिम निर्णय माननीय पर्यटन मंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

उपरोक्त मानकों के अधार पर एक साल एडवांस प्लानिंग हो ताकि स्वीकृत वर्ष के पूर्व वर्ष में ही माह दिसम्बर तक सभी इस्टीमेट्स प्रस्ताव प्राप्त हो जाए।

प्रस्ताव के साथ निम्न बिन्दुओं पर सूचना आवश्यक होगी

1. सम्बन्धित निर्माण इकाई के विभागाध्यक्ष की संस्तुति आंगणन के साथ आवश्यक होगी।
2. पर्ट चार्ट (वित्तीय/भौतिक) आंगणन में सम्मिलित होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा कार्य पूर्ण की तिथि का स्पष्ट उल्लेख आंगणन में होगा। पर्ट चार्ट के अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में पैनाल्टी भी लगायी जायेगी जो निर्माण इकाई द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रस्तावित परियोजना की उपयोगिता एवं उसका पर्यटन गमनागमन में अनुकूल प्रभाव से सम्बन्धित औचित्य।

5. रू0 1.00 करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों पर कन्सलटेंसी/वास्तुविद की राय ली जायेगी तथा इसका प्रस्तुतिकरण पावर प्वांइट के रूप में सम्बन्धित निर्माण इकाई के परियोजना अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

पावर प्वांइट के रूप में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जायेगी :–

(क) योजना का पर्यटन की दृष्टि से महत्व।

(ख) योजना की कॉमर्शियल/फाईनेंशियल दृष्टि से उपयुक्ता।

(ग) यदि योजना कॉमर्शियल पैटर्न पर है, तो उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था कौन करेगा और यदि नॉन कॉमर्शियल पैटर्न पर है, तो उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था कौन करेगा।

(घ) योजना की टैक्निकल (Vetting)

(ङ) योजना एसथेटिक्स/ईको फ्रेंडली दृष्टि से उपयुक्त है कि नहीं।

(च) योजना से कितनों को रोजगार मिलेगा।

6. योजना को प्रस्तावित करने से पूर्व भूमि चयन के फोटोग्राफ्स एवं भूमि की उपलब्धता प्रमाण–पत्र तथा भूमि के मूल कागजों का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

7. निर्माण योजनाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मुख्यालय स्तर पर यू0टी0डी0बी0 द्वारा तकनीकी दल गठित कर योजनाओं का समय–समय पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजनाओं के प्रस्ताव संलग्न परीक्षण प्रारूप के अनुसार ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन

प्रमुख सचिव।

संख्या 478 /VI/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

4. प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
6. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल।
7. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून/अल्मोड़ा।
9. विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन, अल्मोड़ा।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(आनन्द वर्द्धन)
अपर सचिव।

(राज्य योजना)
योजना परीक्षण प्रारूप

1. योजना का नाम–
2. योजना का कार्य स्थल (पता) (ग्राम ब्लॉक तहसील जनपद)
3. प्रस्ताव का विवरण–
4. भूमि की उपलब्धता/यदि वन भूमि है तो उक्त भूमि में लगे पेड़ों की स्थिति, भूमि निर्मित होने का प्रमाण–पत्र सहित–
5. रख–रखाव हेतु प्रमाण–पत्र–
6. योजना स्थल पर विगत 3 वर्षों का पर्यटन गमनागमन की तथ्यात्मक सूचना–
7. योजना, विभाग द्वारा तैयार कराये गये मास्टर प्लानों के अन्तर्गत किस पर्यटन सर्किट गन्तव्य के अन्तर्गत है–
8. योजना की श्रेणी :–

(क) मुख्य पर्यटक स्थलों व पर्यटन मार्ग पर,

(ख) अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर,

(ग) नया पर्यटक स्थल,

(कृपया श्रेणी के आगे विवरण इंगित करें व शेष पर "X" चिन्हित कर दें)

9. योजना के क्रियान्वयन से पर्यटकों को क्या–क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

10. योजना से राज्य शासन को क्या लाभ प्राप्त होगा ?

11. योजना से कितने लोगों को रोजगार सुलभ होगा ?

12. आंगणन शासन द्वारा निर्धारित इकाईयों द्वारा तैयार किया गया है ? यदि नहीं, तो औचित्य प्रस्तुत किया जाय–

13. आंगणन पर पर्ट चार्ट लगा है ?

14. मन्दिर/मस्जिद/गुरूद्वारा/गिरिजाघर आदि के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्धन बिन्दुओं पर सूचना :–

(ग) प्रामाणिक इतिहास

(घ) धार्मिक ग्रन्थों में उल्लेख

(ङ) पुरातात्विक महत्व

(च) समिति का सोसायटी ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या

(छ) समिति का विगत 3 वर्ष की आय–व्यय लेखा

15. योजना के पर्यटनोपयोगी होने के सम्बन्ध में जिला पर्यटन सलाहकार समिति की संस्तुति

16. आवासीय सुविधा के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक मण्डलीय विकास निगम की संस्तुति–

17. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति–

(रु0 10.00 लाख से अधिक किन्तु रु0 1.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं पर लागू) यह कार्यवाही परिषद् स्तर पर सम्पादित की जायेगी।

18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति–

(रु0 1.00 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये एक करोड़ तक की लागत की योजनाओं पर लागू यह कार्यवाही परिषद् स्तर पर सम्पादित की जायेगी।)

संख्या 479/VI/2006

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

पर्यटन अनुभाग– देहरादून : दिनांक 25 अप्रैल, 2006

विषय – जिला सेक्टर योजनाओं के गठन हेतु दिशा– निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल में पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सुनियोजित समेकित व समयबद्ध रूप से पर्यटन विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन, मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर पर्यटन स्थलों का उच्चीकरण तथा विभिन्न स्थलों का सौन्दर्यीकरण कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना पर्यटन विभाग का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यान्वित किया जा रही जिला योजनाओं के लिए निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

(क) :–

1. जिला पर्यटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष के लिए पर्यटक स्थलों का चयन किया जायेगा। उक्त चयनित स्थलों के पर्यटन विकास अथवा सौन्दर्यीकरण के लिए प्रस्ताव जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

2. इन चयनित पर्यटक स्थलों के विकास हेतु निम्नलिखित कार्य करवाये जा सकते हैं :–

   2.1 पहुँच मार्ग का सुधार/पैदल मार्गों का सुधार/पार्किंग स्थलों का विकास।

   2.2 जन सुविधाओं/प्रशासन सुविधाओं का विकास/स्नान घाटों का निर्माण/विकास।

2.3 पेयजल के अन्तर्गत स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण/हैण्ड पम्प की स्थापना।

2.4 परिसर में विद्युतीकरण/लाईटिंग लैम्पपोस्ट/हाईमास्ट की व्यवस्था (विद्युत लाईनें, पोल आदि को छोड़कर ऐसी योजना में विद्युत बिल भेजें व योजना के संचालन का प्रमाण–पत्र दिया जाय।)

2.5 साइनेजेज की स्थापना।

2.6 हैरिटेज बिल्डिंग/सोविनियर शॉप/फोटोग्राफी/रेस्टोरेंट निर्माण/बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क/रैलिंग/व्यू प्वाइंट/पर्यटक स्वागत केन्द्र आदि का निर्माण।

2.7 प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन हेतु सड़क मार्गों व पैदल मार्गों पर व्यू प्वांइट्स का निर्माण।

3. चयनित स्थलों के सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जा सकते हैं :–

3.1 यात्री शेड/रेन शेल्टर का निर्माण।

3.2 बैठने हेतु बैंच, चबूतरे, छतरी आदि का निर्माण।

3.3 प्रवेश द्वार का निर्माण।

3.4 फर्श निर्माण।

3.5 बाउण्ड्रीवाल/फ्रेंसिंग का कार्य।

3.6 साइनेजेज।

(ख) – योजना हेतु शर्तें :–

1. परियोजना का अधिकतम लागत रु0 20.00 लाख तक की होगी।

2. परियोजना की स्थापना सार्वजनिक भूमि पर हो व परियोजना लोक सम्पत्ति मानी जायेगी।

3. परियोजना का कार्य 2 वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

4. परियोजनाओं के चयन में क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान भी रखा जाय।

5. परियोजना के कार्यों को जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति में प्रस्तुत करने से पूर्व जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था भूमि की उपलब्धता, संचालन/रख–रखाव सुनिश्चित करेंगे।

6. परिव्यय के सापेक्ष जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पर्यटन विकास परिषद् जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् को कार्य के आंगणन व प्रस्ताव 1 माह के अन्तर्गत प्रस्तुत करेंगे।

7. नये चालू योजनाओं के लिए कार्यदायी समिति के मांग के अनुरूप जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति के माध्यम से परियोजनावार परिव्यय निर्धारित करवाया जाय।

8. चालू कार्यों के लिए कार्य की प्रगति के अनुसार धनराशि अनुमोदित की जायेगी। 75 प्रतिशत से अधिक कार्य वाली योजना हेतु सर्वप्रथम तथा 50 से 75 प्रतिशत तक प्रगति वाली योजना हेतु उसके पश्चात् तथा अन्ततः 25 से 50 प्रतिशत प्रगति की योजना हेतु धन की व्यवस्था रखी जाय।

9. प्रस्तावित परियोजनाओं की उपयोगिता एवं उसका पर्यटन गमनागम में अनुकूल प्रभाव से सम्बन्धित औचित्य योजना के आंगणन में प्रस्तुत किया जाय।

10. सभी परियोजना के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वे व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक हित से सम्बन्धित हो।

11. मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण आदि के प्रस्तावों पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित मन्दिर/भवन पुरात्व के अन्तर्गत आरक्षित न हों व उस पर पुरात्व सम्बन्धी अधिनियम लागू न हो।

12. जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता हो, उनके लिए प्रथम किस्त के रूप में 1000/–टोकन मनी की ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत करवाई जाये ताकि भूमि हस्तान्तरण के समय योजना की स्वीकृति में बाधा उत्पन्न न हो एवं जब औपचारिक रूप से भूमि हस्तान्तरण पर्यटन विभाग के पक्ष में हो जायेगा तब भुगतान अन्य योजनाओं की भांति इन योजनाओं में भी किया जायेगा।

13. जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता होगी, उनकी भूमि हस्तान्तरण/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माण इकाई की होगी।

14. निर्माण इकाईयों का निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–452/XXVII(I)/2005 दिनांक 05 अप्रैल, 2005 के अनुसार किया जायेगा।

15. प्रत्येक कार्य पर समय–समय पर हुई प्रगति के कम से कम तीन स्तरों (प्रारम्भिक स्थिति, मध्य स्थिति, कार्य पूर्ण होने की स्थिति) पर फोटोग्राफ्स।

16. उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। आंगणन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार तैयार किये जाय जिनमें अनुमोदित दरें संलग्न हों। आगणन में लमसम प्राविधान अपरिहार्य परिस्थितियों में ही रखा जाय।

17. स्वीकृत परियोजनाओं के डिजायन/मानचित्र आदि पर सक्षम अधिकारियों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने का उत्तरादायित्व निर्माण इकाईयों का होगा जिसके लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

18. संलग्न परीक्षण प्रारूप के अनुसार प्रस्ताव के साथ सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण:–

1. साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कराने का दायित्व विशेष कार्याधिकारी साहसिक पर्यटन/जिला साहसिक खेल अधिकारियों एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारियों का होगा।

2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी साहसिक पर्यटन कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक जनपद हेतु परिव्यय जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति से अनुमोदित करायेंगे।

3. साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित धनराशि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् के माध्यम से सीधे जिलाधिकारियों को अवमुक्त की जायेगी।

4. जिला सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण सम्बन्धी पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रम जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति से अनुमोदित कराया जाय, तथा भौतिक लक्ष्य भी निर्धारित किये जाय।

5. साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित उपकरणों का क्रय भी किया जा सकता।

जिला सेक्टर योजनाओं के चयन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया–

उपर्युक्त उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों का प्रारम्भिक परीक्षण जिला पर्यटन सलाहकार समिति के स्तर पर करने के पश्चात् उपयुक्त प्रस्तावों को जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं नियोजन समितियों की बैठकों में परिव्यय की उपलब्धता के अनुरूप अनुमोदित किया जायेगा तथा निर्धारित मानकों के अनुसार योजनाओं के आंगणन अनुमोदन के एक माह के अन्तर्गत गठित करवा कर जिला पर्यटन विकास अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण पर्यटन विकास अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्

मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित धनराशि की मांग वरियता के प्राथमिकता के आधार पर रखी जायेगी तथा नये कार्यों को तत्पश्चात् लिया जायेगा, इस कार्य को सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी अपने जनपद की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में सुनिश्चित करायेंगे। इसी प्रकार साहसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित धनराशि एवं प्रस्तावों के अनुरूप वित्तीय स्वीकृति हेतु मांग का प्रस्ताव सम्बन्धित विशेष कार्याधिकारी/जिला साहसिक खेल अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यालय को एक माह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। अन्ततः उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् स्तर पर आंगणनों का परीक्षण कर 15 दिन के भीतर प्रस्ताव शासन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

प्रस्ताव के साथ निम्न बिन्दुओं पर सूचना आवश्यक होगी

1. सम्बन्धित निर्माण इकाई के विभागाध्यक्ष की संस्तुति आंगणन के साथ आवश्यक होगी।
2. पर्ट चार्ट (वित्तीय/भौतिक) आंगणन में सम्मिलित होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा कार्य पूर्ण की तिथि का स्पष्ट उल्लेख आंगणन में होगा। पर्ट चार्ट के अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में पेनाल्टी भी लगायी जायेगी जो निर्माण इकाई द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
4. भूमि की उपलब्धता का प्रमाण–पत्र, प्रस्तावित कार्यों का संक्षिप्त विवरण व उनकी अनुमानित लागत, वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र में पर्यटन आवागमन, क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण, योजना समाप्ति की सम्भावित तिथि तथा योजना संचालन व रख–रखाव की व्यवस्था का विवरण संलग्न किया जायेगा जिसे जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित निर्माण संस्था द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
5. योजना को प्रस्तावित करने से पूर्व भूमि चयन के फोटोग्राफ्स एवं भूमि की उपलब्ध तथा भूमि के मूल दस्तावेजों का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
6. पर्यटन सम्बन्धी निर्माण कार्यों में स्थानीय भवन शिल्प (Architee fram) स्थानीय पर्यावरण से निर्माण सामग्री/निर्माण शिल्प की साम्यता अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं निर्माण शिल्प में स्थानीय शिल्प, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक छटा को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाय।

7. समस्त भवन सम्बन्धी व अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्यों में भूकम्परोधी तकनीकों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन

प्रमुख सचिव।

संख्या /VI/2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तरांचल
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
6. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल।
7. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून/अल्मोड़ा।
9. विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन, अल्मोड़ा।
10. समस्त जिला साहसिक खेल अधिकारी, उत्तरांचल।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द वर्द्धन)

अपर सचिव।

योजना परीक्षण प्रारूप

1. योजना का नाम–
2. योजना का कार्य स्थल (पता) (ग्राम, ब्लॉक, तहसील, जनपद)
3. प्रस्ताव का विवरण–
4. भूमि की उपलब्धता/यदि वन भूमि है तो उक्त भूमि में लगे पेड़ों की स्थिति, भूमि निर्विवाद होने का प्रमाण–पत्र सहित–
5. रख–रखाव हेतु प्रमाण–पत्र–
6. योजना स्थल पर विगत तीन वर्षों का पर्यटन गमनागमन की तथ्यात्मक सूचना–
7. योजना, विभाग द्वारा तैयार कराये गये मास्टर प्लानों के अन्तर्गत किस पर्यटन सर्किट/पर्यन गन्तव्य के अन्तर्गत है–
8. योजना की श्रेणी :–

   (क) मुख्य पर्यटक स्थलों व पर्यटन मार्ग पर,

   (ख) अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर,

   (ग) नया पर्यटक स्थल,

   (कृपया श्रेणी के आगे विवरण इंगित करें व शेष पर "X" चिन्हित कर दें)
9. योजना के क्रियान्वयन से पर्यटकों को क्या–क्या लाभ प्राप्त होंगे ?
10. योजना से राज्य शासन को क्या लाभ प्राप्त होगा ?
11. योजना से कितने लोगों को रोजगार सुलभ होगा ?
12. आंगणन शासन द्वारा निर्धारित इकाईयों द्वारा तैयार किया गया है ? यदि नहीं, तो औचित्य प्रस्तुत किया जाय–
13. आंगणन पर पर्ट चार्ट लगा है ?
14. मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/गिरिजाघर आदि के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्धन बिन्दुओं पर सूचना :–

    (क) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय पहचान के सम्बन्ध में पुष्टि।

    (ख) जिले के गजेटियर में स्थान।

    (ग) प्रामाणिक इतिहास

    (घ) धार्मिक ग्रन्थों में उल्लेख

    (ङ) पुरातात्विक महत्व

    (च) समिति का सोसायटी ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या

    (छ) समिति का विगत 3 वर्ष की आय–व्यय लेखा
15. योजना के पर्यटनोपयोगी होने के सम्बन्ध में जिला पर्यटन सलाहकार समिति की संस्तुति है अथवा नहीं।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 37 पर)

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य के यात्रियों का विवरण, जिनको सरकार द्वारा अनुदान दिया गया—

क्र० सं०	नाम व पता
1.	श्री रमेश सिंह, ग्राम–खारसैण (गोचर) जनपद चमोली।
2.	श्री हरीश चन्द्र छिमवाल, मुनियाचौरा, जनपद अल्मोड़ा।
3.	श्रीमती पुष्पलता छिमवाल, मुनियाचौरा, जनपद अल्मोड़ा।
4.	श्री ओ०पी० निगम, जे–232 शिवालिक नगर, बी०एच०एल०, हरिद्वार।
5.	श्रीमती मीरा निगम, जे–232 शिवालिक नगर, बी०एच०एल०, हरिद्वार।
6.	सुश्री उमा भट्ट, परिक्रमा, तल्ला डांडा, तल्लीताल, नैनीताल।
7.	श्री तुलसी दत्त काला, ग्राम मीना, गैरसैण, जनपद चमोली।
8.	श्री विलास नाथ, गुरू गोरखनाथ मन्दिर, अपर रोड़, हरिद्वार।
9.	सुश्री कामिनी कश्यप, मोहल्ला खोल्टा, अल्मोड़ा।
10.	श्री शिव कुमार गुप्ता, प्रेम सदन, पुष्कर मन्दिर मार्ग, ऋषिकेश।
11.	डा० महावीर डबराल, डबराल सदन लेन नं०–5, शास्त्रीनगर, देहरादून।
12.	श्री बद्रीसिंह भण्डारी, ग्राम डांडा खिल, जनपद टिहरी।
13.	श्री प्रदीप सिंह बिष्ट, नीबू वाला, गढ़ी कैण्ट, देहरादून।
14.	डा० रजनीश बतरा, बी–31, नेताजी सुभाष मार्ग, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।
15.	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री मुन्ना लाल, दून विश्वविद्यालय कैम्पस, देहरादून।
16.	श्री गोकुल चन्द पाण्डेय पुत्र श्री आर०डी० पाण्डेय ग्राम सुनार गाँव, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
17.	श्रीमती दीपा पाण्डेय, पत्नी श्री गोकुल चन्द्र पाण्डेय ग्राम सुनार गाँव, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

18. कु0 रजनीश बतरा पुत्री श्री रामचन्द्र हलवाई, नेताजी सुभाष मार्ग रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
19. श्री देवेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री अतर पाल गुप्ता, भुड़िया कलां, जनपद ऊधमसिंह नगर।
20. डा0 ज्योति रावत पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह रावत, ग्राम सरमोली, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।
21. श्री भूपत सिंह बिष्ट, पट्टी ढकरालस्यूं, लैंसडोन, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
22. श्री गिरीश चन्द्र सब्बरवाल पुत्र श्री राधेश्याम, 103/3 डी0एल0 रोड, देहरादून।
23. श्री शशि भूषण गुप्ता पुत्र श्री जय भगवान 112/1 डी0एल0 रोड, देहरादून।
24. श्री प्रभात लाल साह पुत्र श्री ओम स्वरूप साह, लाला बाजार, अल्मोड़ा।
25. श्रीमती ज्योति जोशी पत्नी श्री भुवन चन्द्र जोशी, बक्शी खोला, अल्मोड़ा।
26. श्रीमती भुवन चन्द्र जोशी पुत्र स्व0 श्री जमुना दत्त जोशी, बक्शी खोला अल्मोड़ा।
27. श्रीमती प्रभा जोशी पत्नी स्व0 श्री जमुना दत्त जोशी, बक्शी खोला अल्मोड़ा।
28. कु0 विजय लक्ष्मी रौतेला पुत्री श्री जमुना दत्त जोशी, बक्शी खोला अल्मोड़ा।
29. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, 30 रामनगर रुड़की, जनपद हरिद्वार।
30. श्री मोहन पाल सिंह, 83 इंजीनियर्स इनक्लेव, राजपुर रोड़, देहरादून।
31. कु0 कामिनी कश्यप पुत्र श्री अम्बा कश्यप, खोल्टा, अल्मोड़ा।
32. श्री श्याम दत्त पन्त स्व0 श्री काशी राम पन्त नाथपुर, लालकुंआ, जनपद नैनीताल।
33. श्री धनेश चन्द्र पाठक पुत्र श्री चन्द्र शेखर पाठक, गौलाजाली, उत्तर, जनपद नैनीताल।
34. श्री प्रज्ञा किचलय, 266 फेज द्वितीय बसन्त बिहार, देहरादून।
35. कु0 रजनीश बत्रा पुत्री श्री रामचन्द्र हलवाई, नेताजी सुभाष मार्ग, रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर।
36. श्री भगवान चन्द्र साह, जीवन विला, निकट सिविल अस्पताल, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा।
37. श्री तुषार कान्त शाह पुत्र स्व0 श्री उदय लाल साह, कारखाना बाजार, अल्मोड़ा।
38. श्री गुलाब सिंह परमार पुत्र श्री नैन सिंह परमार, ग्राम माणा, जिला चमोली।
39. श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मुना लाल, दून विश्वविद्यालय कैम्पस, देहरदून।
40. कु0 कामिनी कश्यप पुत्री श्री अम्बा कश्यप, मोहल्ला खोल्टा, अल्मोड़ा।

41. श्री गोकुल चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री आर0डी0 पाण्डे, ग्राम सुनार गाँव, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

42. श्री रघुवीर कालाकोटी पुत्र श्री रतन सिंह कालाकोटी वार्ड नं0–3, हरिपुर कर्नलवार्ड, हल्द्वानी।

43. श्रीमती दीपा पाण्डे पत्नी श्री गोकुल चन्द्र पाण्डेय ग्राम सुनार गाँव, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

44. कु0 रजनीश बत्रा पुत्री श्री राम चन्द्र हलवाई, नेताजी सुभाष मार्ग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

45. श्री ऋतेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री बचन दत्त, ग्राम बटखेम, जनपद टिहरी गढ़वाल।

46. श्री महेश कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र, ए–13 आदेश कालोनी, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।

47. श्री नवीन चन्द्र धौंशियाल पुत्र स्व0 गोवर्धन प्रसाद, अनिल काटेज मल्लीताल, नैनीताल।

48. श्री संजीव कुमार झाम पुत्र श्री पूरन चन्द्र झाम, ग्राम महाराजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।

49. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री आनन्द बल्लभ जोशी डूंगाधारा, जनपद अल्मोड़ा।

50. श्री लक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री देवी दत्त, गौलाजाली, विचली, जनपद नैनीताल।

51. श्री रमेश प्रसाद पुत्र श्री सुरेशा नन्द, ग्राम स्यालकण्डी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

52. श्रीमती मंजुला भास्कर पत्नी श्री पी0एन0 भास्कर, वार्ड 146–II, आर्यनगर देहरादून।

53. श्री पी0एन0 भास्कर पुत्र स्व0 बृज मोहन वार्ड 146–II, आर्यनगर देहरादून।

54. श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह ग्राम रूईसाण, थराली, जनपद चमोली।

55. श्रीमती श्यामा देवी शर्मा पत्नी स्व0 वेद प्रकाश शर्मा 13/399 मोहित नगर, देहरादून।

56. श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री माया राम, ग्राम बंगथल, पोखरी, जनपद चमोली।

57. श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, ग्राम पातल धारचूला, जनपद पिथौरागढ़।

58. श्री बलदेव प्रसाद खण्डूरी पत्नी श्री बलदेव प्रसाद खण्डूरी ग्राम क्वीराली, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

59. श्रीमती रश्मि खण्डूरी पत्नी पुत्र श्री कृत राम, ग्राम क्वीराली, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

60. श्रीमती नीलम अरोरा पत्नी श्री जगत सिंह अरोरा, अद्वैतानन्द मार्ग, ऋषिकेश।

61. श्री अनुसूया प्रसाद पुत्र श्री सुरेन्द्र दत्त, ग्राम कौशलपुर, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग।

62. श्री प्रवीन जौली पुत्र स्व0 श्री राम प्रकाश जौलली, वार्ड 66 राजपुर रोड, देहरादून।

63. श्री गोपाल सिंह राना पुत्र श्री गुसांई सिंह, ग्राम मण्डोबा, गरूड़ जनपद पिथौरागढ़।

64. श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री जय सिंह, ग्राम फलतडी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़।

65. श्री शैलेन्द्र मोहन बिष्ट पुत्र श्री आनन्द सिंह बिष्ट, ग्राम पन्यूर यमकेश्वर, पौढ़ी गढ़वाल।

66. कु0 गंगा मठपाल पुत्र स्व0 श्री बाला दत्त मठपाल, ग्राम रूसी, मवाली, जनपद नैनीताल।

67. डा0 सावित्री मठपाल, पुत्री स्व0 श्री बाला दत्त मठपाल, ग्राम रूसी मवाली, जनपद नैनीताल।

68. श्री जग मोहन सिंह सजवाण पुत्र श्री हुकम सिंह सजवाण, ग्राम गुल्डी पट्टी मनियार, टिहरी।

69. श्री नारायण सिंह धामी पुत्र श्री कुशाल सिंह धामी, ग्राम व पो0 खेला, धारचूला, पिथौरागढ़।

70. श्री प्रेम बल्लभ पाण्डे पुत्र श्री केशव दत्त पाण्डे, मोहल्लाटेडा रोड लखनपुर, रामनगर, नैनीताल।

71. श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री जग राम शर्मा, निवासी मोक्ष धाम, चोपड़ा भवन, भैपतवाल, हरिद्वार।

72. श्री रजनीश बत्रा पुत्री श्री राम चन्द्र हलवाई, निवासी बी–31 नेताजी सुभाष मार्ग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

73. कु0 कामिनी कश्यप पुत्री श्री अम्बा कश्यप, मोहल्ला खोल्टा, अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा।

74. श्री आनन्द लाल साह पुत्र स्व0 इन्द्र लाल साह मोहल्ला बॉस गली अल्मोड़ा, अल्मोड़ा।

75. श्री गिरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री देवती नन्दन जोशी, निवासी पंचकुटी लक्ष्मी विष्णु विहार, बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

76. श्रीमती शान्ती पत्नी प्रो0 होशियार सिंह धामी, 3/1 प्रोफेसर्स कालोनी, अल्मोड़ा कैम्पस, जनपद अल्मोड़ा।

77. श्री नरेश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री भुवन चन्द्र तिवारी, मकान नं0 90, बड़ा बाजार मल्लीताल नैनीताल।

78. श्रीमती हरि प्रिया कर्नाटक पत्नी स्व0 श्री मोहन चन्द्र कर्नाटक, निवासी बमोरी तल्ली, मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

79. श्री सत्य प्रसाद थिल्याल पुत्र श्री रैजा नन्द थिल्याल, ग्राम न्यू डांग, पो0 श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

80. श्री नरेन्द्र सिंह, ग्राम कितखेत, पट्टी डोर, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़।

81. श्री ध्रुव मर्तोलिया, ग्राम मगर पट्टी, डोर तहसील मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़।

82. श्री सुजीत कुमार सरण, मकान नं0 113/ए 7 सिविल लाईन, रुड़की।

83. श्री रामबीर सिंह, बी–56 अरिहनत विहार, विष्णु गार्डन, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

84. सुश्री कामनी_कश्यप, मोहल्ला खोल्टा, अल्मोड़ा।

85. श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम बसौली, पो0 भैंसोड़ी, अल्मोड़ा।

86. श्री कमल किशोर तिवारी, 258 चीनाखान लाईन, तल्लीताल, नैनीताल।

87. सुश्री निर्मल कनराल, कुमपुर बाजार, लालकुर्ती, तहसील रानीखेत, अल्मोड़ा।

88. श्री गोविन्द सिंह, ग्राम व पो0 मनार, तहसील कपकोट, बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 विधान सभा/123–14–07–2014–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।